



भारतीय रिज़र्व बैंक  
संपदा विभाग, पटना

वेब सूचना

दिनांक: 12 दिसंबर, 2024

**बैंक की आवासीय कॉलोनियों और मुख्य कार्यालय भवन (एमओबी), पटना में लिवप्योर और अन्य मेक वाटर स्टोरेज प्युरीफायर (आरओ + यूवी आधारित) के व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी) के लिए निविदा**

एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से पात्र ठेकेदारों/फर्मों से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, जिसकी अनुमानित लागत ₹8,36,896/- है। बोली में भाग लेने की अंतिम तिथि 02.01.2025 पूर्वाह्न 14:00 बजे है।

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या और समय सीमा नीचे दी गई है:

क्रम संख्या	गति विधि	संभावित तारीख
1.	निविदा आमंत्रित करने की सूचना की तिथि	<b>12.12.2024</b>
2.	ई-निविदा संख्या	आरबीआई/पटना क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/13/24-25/ईटी/654[वाटर प्युरीफायर का सीएएमसी]
3.	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्चोरमेंट सिस्टम- खुली निविदा (ओपन टेंडर) (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - कीमत बोली <a href="http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi">www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi</a> ) के माध्यम से
4.	एनआईटी की तिथि (पूर्ण निविदा के साथ) पार्टियों को डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध-निविदा पोर्टल पर सक्रियण- सभी के लिए 'लाइव' निविदा	<b>12.12.2024 के 14:00 बजे से</b>
5.	बोली पूर्व बैठक की तिथि संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक मुख्य भवन पटना (ऑफलाइन) में	<b>19.12.2024 के ऑफलाइन 12:00 बजे</b>
6.	बयाना धन जमा राशि	<b>₹ 16,738/- (अनुमानित लागत का 2% प्रत्येक बोलीदाता से)</b>
7.	कार्य निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)	सफल फर्म संविदा राशि के 5% का कार्य निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करेंगे।
8.	बोली शुरू करने की तिथि- ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और कीमत बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू करने की तिथि <a href="http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi">www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi</a>	<b>12.12.2024 के 14:00 बजे</b>

9.	<b>बोली बंद होने की तिथि</b> - तकनीकी- वाणिज्यिक बोली और कीमत बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई- निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	<b>02.01.2025 के 14:00 बजे</b>
----	---	--------------------------------

10.	भाग-। (यानी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) के खुलने की तिथि और समय: भाग-।। (कीमत बोली): भाग-।। (कीमत बोली) विक्रेताओं को पूर्व सूचना के साथ बाद की तिथि में खोला जाएगा।	02.01.2025 को 15:00 बजे
11.	लेनदेन शुल्क	लेनदेन शुल्क का भुगतान एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी भुगतान गेटवे/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से

नोट: भविष्य में जारी किए गए निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल आरबीआई की वेबसाइट/एमएसटीसी वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा और समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक  
(बिहार)



भारतीय रिज़र्व बैंक  
संपदा विभाग, पटना

बैंक की आवासीय कॉलोनियों और मुख्य कार्यालय भवन (एमओबी), पटना में लिवप्योर और अन्य मेक वाटर स्टोरेज प्युरीफायर (आरओ + यूवी आधारित) का व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी)

के लिए ई-निविदा

भाग- I

आरबीआई/पटना क्षेत्रीय कार्यालय/एस्टेट/13/24-25/ईटी/654[वाटर प्युरीफायर का सीएएमसी]

निविदाकर्ता का नाम:

पता:

बोली पूर्व बैठक की तिथि : 19 दिसंबर, 2024 को दोपहर 12.00 बजे

जमा करने की नियत तिथि : 02 जनवरी, 2025 को 14.00 बजे तक

निविदा के भाग- I के खुलने की तिथि : 02 जनवरी, 2025 को 15.00 बजे

स्थान- संपदा विभाग, 2 मंजिल आरबीआई, पटना

महत्वपूर्ण जानकारी-ई-निविदा की अनुसूची

a. ई-निविदा सं.	आरबीआई/पटना क्षेत्रीय कार्यालय/एस्टेट/13/24- 25/ईटी/654[वाटर प्युरीफायर का सीएएमसी]
b. कार्य का नाम	बैंक की आवासीय कॉलोनियों और मुख्य कार्यालय भवन में लिवप्योर और अन्य मेक वाटर स्टोरेज प्युरीफायर (आरओ+यूवी आधारित) का व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी) (एमओबी), पटना
c. निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग-I - तकनीकी वाणिज्यिक बोली और पार्ट II - <a href="http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi">www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi</a> के माध्यम से कीमत बोली) - ई-निविदा के लिए दिशा-निर्देश अनुलग्नक - I प्रदान किए गए हैं।
d. वेबसाइट <a href="http://www.rbi.org.in">www.rbi.org.in</a> पर अधिसूचना की तिथि	<b>12 दिसंबर, 2024</b> को 14.00 बजे से
e. पार्टियों के लिए डाउनलोड करने के लिए एनआईटी की तिथि	<b>12 दिसंबर, 2024</b> को 14.00 बजे से
f. काम की अनुमानित लागत:	<b>₹8,36,896/- (आठ लाख छत्तीस हजार आठ सौ छियानबे रुपये मात्र)</b>
g. बयाना धन जमाराशि (ईएमडी)	<b>₹16,738/- ( प्रत्येक बोलीदाता से अनुमानित लागत का 2%)</b>
h. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	<b>02 जनवरी, 2025 को 14.00 बजे</b>
i. बोली पूर्व बैठक की तिथि और स्थान (ऑफ़लाइन)	19 दिसंबर, 2024 को 12:00 बजे संपदा विभाग, दूसरी मंजिल, भारतीय रिजर्व बैंक, गांधी मैदान, पटना-800001 में।
j. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तिथि, भाग- I और कीमत बोली- II	<b>02 जनवरी, 2025 को 14.00 बजे</b>
k. निविदा खोलने की तिथि और समय	निविदा का भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) <b>02 जनवरी, 2025 को 15.00 बजे</b> खोला जाएगा, यदि कोई विशेष शर्त नहीं है। भाग II (कीमत बोली) बाद की तारीख को खोला जाएगा, जिसे बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा।
l. लेनदेन शुल्क	एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी भुगतान गेटवे/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से एमएसटीसी पोर्टल में उल्लिखित लेनदेन शुल्क का भुगतान।
m. पोर्टल से डाउनलोड के लिए निविदा शुल्क	शून्य

## **ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश**

यह भारतीय रिजर्व बैंक, पटना का एक ई-प्रोक्योरमेंट कार्यक्रम है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड है। आपसे अनुरोध है कि आप अपना ऑनलाइन निविदा (टेंडर) जमा करने से पहले निविदा आमंत्रण सूचना और उसके बाद शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को पढ़ें और समझें। जो निविदाकार दस्तावेजी प्रमाण (जहां भी आवश्यक हो) के साथ शर्तों का पालन नहीं करते हैं, वे कीमत बोली खोलने के लिए निविदा में अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे।

1.

### **ई-निविदा की प्रक्रिया:**

**(A) पंजीकरण:** इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, विक्रेता अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। इंटरनेट पर तकनीकी वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ कीमत बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाएगी। विक्रेता के पास श्रेणी III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होती है। एमएसटीसी/आरबीआई, पटना ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

### **विशेष नोट: कीमत बोली और वाणिज्यिक बोली केवल**

**[www.mstcecommerce.com/eprochome/rbind](http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbind) पर ऑनलाइन जमा की गई होनी चाहिए**

1. विक्रेताओं को [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू/सरकारी विभागों के साथ खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है → आरबीआई, पटना पर क्लिक करें → विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें, विवरण भरें और स्वयं की यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं → सबमिट करें।

2. विक्रेताओं को उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरते समय प्रदान किया गया है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत मार्गदर्शन के लिए [www.mstcecommerce.com/eprochome](http://www.mstcecommerce.com/eprochome) पर "वीडियो देखें" लिंक के तहत उपलब्ध विक्रेता गाइड और वीडियो गाइड देखें। अधिक स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एमएसटीसी से संपर्क करें, (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले)।

### **संपर्क सूत्र (MSTC Ltd):**

एमएसटीसी सेंट्रल हेल्पडेस्क नंबर-033-23400020/23400021/23400022 ईमेल आईडी - [helpdesk@mstcindia.co.in](mailto:helpdesk@mstcindia.co.in)

1. श्री अमित कुमार - [akgoutam@mstcindia.co.in](mailto:akgoutam@mstcindia.co.in) मोबाइल-9886624201
2. श्री सब्यसाची मुखर्जी- [smukherjee@mstcindia.co.in](mailto:smukherjee@mstcindia.co.in) मोबाइल- 7278030407

Google hangout ID- (टेक्स्ट चैट के लिए) - [mstceproc@gmail.com](mailto:mstceproc@gmail.com)

### **संपर्क सूत्र (RBI):**

1. श्री अंशुमन त्रिपाठी, सप्र (तकनीकी-इलेक्ट्रिकल), मोबाइल नंबर: 9415015483
2. श्री अपूर्वा सिंघल, कनिष्ठ अभियंता (तकनीकी -इलेक्ट्रिकल), मोबाइल नंबर: 9100946714

	<p><b>(B) सिस्टम आवश्यकताएँ: -</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. विंडोज 7 और इसके बाद के संस्करण ऑपरेटिंग सिस्टम</li> <li>2. IE-9 और इसके बाद के संस्करण इंटरनेट ब्राउज़र।</li> <li>3. हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर</li> <li>4. JRE 8 अद्यतन 161 और इसके बाद के संस्करण सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और सिस्टम में स्थापित किया जाना है (फ़ाइल नाम- Windows X86 ऑफ़लाइन)</li> </ol> <p>सभी सक्रिय X नियंत्रणों को सक्षम और अक्षम करने के लिए टूल्स → इंटरनेट विकल्प → कस्टम स्तर तहत 'पॉप अप ब्लॉकर का उपयोग करें' ।</p> <p>बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने से पहले "विक्रेता गाइड" और "वीडियो गाइड" देखें।</p>
2.	<p>A. भाग-I तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एनआईटी में दिए गए अनुसार निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी। बोलीदाता बोली के इलेक्ट्रॉनिक उद्घाटन को देख सकते हैं।</p> <p>B. भाग-II कीमत बोली केवल उन्हीं बोलीदाताओं (बोलीदाताओं) से इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी जिनकी भाग-I तकनीकी वाणिज्यिक बोली भारतीय रिजर्व बैंक, पटना द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य पायी गई है। ऐसे बोलीदाताओं (बोलीदाताओं) को उनके द्वारा पुष्टि की गई वैध ई-मेल के माध्यम से भाग-II कीमत बोली खोलने की तारीख की सूचना दी जाएगी।</p> <p>C. नोट: निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सर्वोत्तम संभव दरों की पेशकश करें। आम तौर पर कोई बातचीत नहीं होगी इसलिए कृपया कीमत बोली जमा करते समय अपनी सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतें जमा करें। तथापि, यदि मौजूदा बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम दर उचित प्रतीत होती है, तो आदेश सबसे कम बोली लगाने वाले को दिया जा सकता है और यदि दर को अभी भी अधिक माना जाता है, तो प्रचलित अनुदेश/दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।</p>
3.	<p>निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।</p>
4.	<p>विक्रेताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए बोली लगाने के लिए 'दस्तावेज़ संलग्न करें' लिंक का उपयोग करें। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 4 एमबी है। अधिक सहायता के लिए, कृपया विक्रेता गाइड के निर्देशों का पालन करें। लेन-देन शुल्क के बारे में विशेष नोट: विक्रेता लॉगिन में "माई मेनू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। विक्रेताओं को ईवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। विक्रेता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। विक्रेता में बदलाव किए बिना चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा, और विक्रेता को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। लेन-देन शुल्क अप्रतिदेय है। एक विक्रेता के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं होगी।</p> <p>नोट - बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे कार्यक्रम के समापन समय से पहले लेनदेन शुल्क को अग्रिम रूप से जमा कर दें ताकि बोली जमा करने के लिए खुद को पर्याप्त समय मिल सके।</p>

5.	<p>भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निविदा को अंतिम रूप दिए जाने तक प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता (बोलीदाताओं) को सभी नोटिस और पत्राचार केवल ई-मेल द्वारा भेजे जाएंगे। इसलिए बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनकी कॉर्पोरेट ई-मेल आईडी प्रदान की गई है और एमएसटीसी (यानी सेवा प्रदाता) के साथ विक्रेता के पंजीकरण के चरण में अद्यतन की गई है। बोलीदाताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैधता सुनिश्चित करें।</p>
6.	<p><b>1.</b> कृपया ध्यान दें कि एनआईटी में उल्लिखित वेबसाइट से निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने वाले पार्टियों की सूची निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि निविदा खोलने की नियत तारीख से पहले एक बार फिर से वेबसाइट देखें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्होंने निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने के बाद उक्त निविदा के लिए अपलोड किए गए किसी भी शुद्धिपत्र को नहीं छोड़ा है। संबंधित शुद्धिपत्र को डाउनलोड करने की जिम्मेदारी, यदि कोई हो, डाउनलोड करने वाले पार्टियों की होगी।</p> <p><b>2.</b> इस एनआईटी से संबंधित किसी शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) के संबंध में कोई अलग सूचना निविदाकर्ताओं (ओं) को नहीं भेजी जाएगी, जिन्होंने वेब साइट से दस्तावेज डाउनलोड किए हैं। कृपया एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट <a href="http://www.mstcecommerce.com/eprhome/rbi">www.mstcecommerce.com/eprhome/rbi</a> देखें।</p>
7.	<p>एनआईटी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा को एक्सेस नहीं किया जा सकता है।</p>
8.	<p><b>ई-निविदा में बोली:</b></p> <p>a) बोलीदाता (ओं) को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए संपदा विभाग, मुख्य कार्यालय भवन, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना -800001 में व्यक्तिगत रूप से आवश्यक ईएमडी जमा करने की आवश्यकता है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।</p> <p>b) इस प्रक्रिया में तकनीकी वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ कीमत बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।</p> <p>जिन बोलीदाताओं ने उपरोक्त शुल्क जमा किया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट <a href="http://www.mstcecommerce.com">www.mstcecommerce.com</a> → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू/सरकारी विभागों → आरबीआई विक्रेता लॉगिन → मेरा मेनू → ऑक्शन फ्लोर मैनेजर → लाइव कार्यक्रम → लाइव इवेंट का चयन → तकनीकी वाणिज्यिक बोली में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी वाणिज्यिक बोलियां और कीमत बोली जमा कर सकते हैं।</p> <p>c) बोलीदाता को जोखिम स्वीकार करके और रन पर क्लिक करके enApple नामक एप्लिकेशन चलाने की अनुमति देनी चाहिए। तकनीकी- वाणिज्यिक बोली पर क्लिक करने के तुरंत बाद यह प्रक्रिया दो बार करनी होती है। यदि यह एप्लिकेशन नहीं चलाया जाता है तो बोलीदाता अपनी बोली को सहेजने/जमा करने में सक्षम नहीं होगा।</p> <p>d) तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, कीमत बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और इसे भरना पड़ता है और फिर बोली लगाने वाले को अपनी कीमत बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और कीमत बोली दोनों को सहेज लेने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "सबमिट" बटन पर क्लिक कर सकता है।</p> <p><b>नोट:</b> - बोलीदाता द्वारा "फाइनल सबमिशन" बटन पर क्लिक करने के बाद तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और कीमत बोली को संशोधित नहीं किया जा सकता है।</p>

	<p>f) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।</p> <p>g) पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए और अन्य सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।</p> <p>h) ई-निविदा का काम पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।</p> <p>i) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी संविदा बनाएगी। ऐसे सफल निविदाकर्ता को इसके बाद आपूर्तिकर्ता कहा जाएगा।</p> <p>j) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ जमा की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।</p> <p>k) क्रेता के पास बिना कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा भी मामला हो।</p> <p>l) निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-निविदा में बोली जमा करने से निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि होती है।</p> <p>माप की इकाई (यूओएम) ई-निविदा मंजिल में दर्शाई गई है। उद्धृत की जाने वाली दर ई-निविदा मंजिल/निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये (आंकड़े और शब्द दोनों में) में होनी चाहिए।</p>
9.	इस खुली ई-निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा।
10.	तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं है।
11.	ऑनलाइन बोली जमा करने के बाद, बोलीदाता डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जमा करने के बाद निविदा को एक्सेस नहीं कर सकता है।
12.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली प्राप्त करने की नियत तारीख को बढ़ाने का अधिकार है।
13.	ऑनलाइन निविदा सख्ती से एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट <a href="http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi">www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi</a> में निर्धारित नियम और शर्तों के अनुसार जमा की जानी चाहिए।
14.	बोलीदाताओं को एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अपलोड किए गए किसी भी अन्य दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा जो एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक नहीं है।
15.	बोली का मूल्यांकन भरे हुए तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों के आधार पर किया जाएगा
16.	बोलीदाताओं द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि जांच के दौरान बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है, तो चूककर्ता बोलीदाता (बोलीदाताओं) की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। चूककर्ता बोलीदाताओं के विरुद्ध निलंबन और कारोबार पर प्रतिबंध सहित दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक  
संपदा विभाग, पटना

भाग-I  
(नियम और शर्तें एवं तकनीकी विनिर्देश)

बैंक की आवासीय कॉलोनियों और मुख्य कार्यालय भवन (एमओबी), पटना में लिवप्योर और अन्य मेक वाटर स्टोरेज प्युरीफायर (आरओ + यूवी आधारित) का व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी)

अनुक्रम

क्रम सं	विवरण	पृष्ठ सं
1	महत्वपूर्ण जानकारी-ई-निविदा की अनुसूची	2
2	एमएसटीसी पर ई-निविदा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश	3-6
3	ई-निविदा का फॉर्म	8-9
4	वाणिज्यिक शर्तें और पात्रता मानदंड	10-12
5	निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश	13-15
6	कार्य का दायरा और सामान्य नियम और शर्तें।	16-22
7	सीएएमसी राशि में संशोधन	23
8	सुरक्षा कोड	24-25
9	निविदाकर्ताओं का विवरण	26-27
10	अनुलग्नक-I (करार की शर्तें का प्रारूप)	28-32
11	अनुलग्नक-II (पीबीजी का प्रारूप)	33-35
12	अनुलग्नक- III (बैंकर का प्रमाण पत्र)	36
13	अनुलग्नक- IV (वचन पत्र )	37
14	अनुलग्नक- V (सार्वजनिक संस्थान द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के संबंध में वचन पत्र)	38
15	भाग II कीमत बोली	39-40

## ई-निविदा का फॉर्म

स्थान \_\_\_\_\_

तारीख \_\_\_\_\_

क्षेत्रीय निदेशक,  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
संपदा विभाग पटना

प्रिय महोदय/महोदया,

हमने एतद द्वारा निर्दिष्ट ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देश, डिजाइन और मात्राओं की अनुसूची का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है तथा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थापना स्थल का निरीक्षण किया है तथा निविदा को प्रभावित करने वाली संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त की है। हम इसके द्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को संपादित करने का प्रस्ताव रखते हैं, जिसमें जुड़ी मात्राओं की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर तथा सभी पहलुओं में करार की शर्तों में उल्लिखित विनिर्देश, डिजाइन और लिखित निर्देशों, निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देशों, विशेष शर्तों, पूर्वोक्त शर्तों, विनिर्देशों, डेटा शीट और मात्राओं की अनुसूची के अनुसार, तथा इसमें निर्धारित सामग्रियों का उपयोग करके, और अन्य सभी पहलुओं में इन शर्तों के अनुसार, जहां लागू हों।

### ज्ञापन

1	कार्य का विवरण	बैंक की आवासीय कॉलोनियों और मुख्य कार्यालय भवन (एमओबी), पटना में लिवप्योर और अन्य मेक वाटर स्टोरेज प्यूरीफायर (आरओ + यूवी आधारित) का व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी)
2	अनुमानित लागत	₹ 8,36,896/- (जीएसटी सहित)
3	बयाना राशि	₹16,738/-

- हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा, निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी किसी और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमति से हो सकती है। हम निविदा की वैधता की पूरी अवधि के दौरान बयाना राशि को वैध रखने के लिए भी सहमत हैं।

यदि इस निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम इसके द्वारा निविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं और चूक किए जाने की स्थिति में, आपको या आपके उत्तराधिकारी, या समनुदेशिनी या नामांकित व्यक्ति के द्वारा ऐसी रकम जो संविदा की लिखित स्वीकृति के साथ निविदा में निहित शर्तों में निर्धारित की जाती है, को जब्त किये जाने और उन्हें भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

2. मैं/हम समझते हैं कि आप कोई कारण बताए बिना किसी भी या सभी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के पास बयाना राशि के रूप में हमने 16,738/- रुपये की राशि जमा कर दी है, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं है। यदि हम निविदा को निष्पादित करने या ऐसा करने हेतु हमें कहा जाता है, और हम विफल रहते हैं, तो हम इस बात से सहमत हैं कि हमारे द्वारा जमा की गई यह राशि भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
3. निविदा को एमएसटीसी की वेबसाइट पर दो भागों में अपलोड किया जाना है। भाग I में सभी तकनीकी, वाणिज्यिक शर्तें और विवरण शामिल हैं और भाग II में केवल कीमत बोली शामिल है।

वर्ष 2024/2025 के दिनांक ..... को

मैसर्स..... के लिए और उनकी ओर से

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

नाम

पदनाम:

स्थान

तारीख

( उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता की पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सच्ची प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

गवाह:-

\_\_\_\_\_

1. नाम, पता और तारीख के साथ हस्ताक्षर

-----

2. नाम, पता और तारीख के साथ हस्ताक्षर

**भारतीय रिज़र्व बैंक संपदा  
विभाग पटना**

**बैंक की आवासीय कॉलोनियों और मुख्य कार्यालय भवन (एमओबी), पटना में लिवप्योर और अन्य मेक वाटर स्टोरेज प्युरीफायर (आरओ + यूवी आधारित) का व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी)**

**खंड I: वाणिज्यिक शर्तें**

भारतीय रिज़र्व बैंक पटना द्वारा सभी पात्र निविदाकारों से दो भागों में बैंक की आवासीय कॉलोनियों और मुख्य कार्यालय भवन (एमओबी), पटना (अनुमानित लागत ₹8,36,896/- सहित) में लिवप्योर और अन्य मेक के वाटर स्टोरेज प्युरीफायर (आरओ+यूवी आधारित) के व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी) के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। भाग I में तकनीकी वाणिज्यिक बोली (खंड I और II और अनुलग्नक I और II) शामिल हैं। भाग II में वित्तीय बोली शामिल है। निविदा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, पटना को संबोधित करते हुए दिनांक 02 जनवरी 2025 को 14.00 बजे तक ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी।** भाग I उसी दिन **15:00 बजे** खोली जाएगी। भाग II बाद की तारीख में खोला जाएगा, जिसकी सूचना सभी पात्र प्रतिभागियों को दी जाएगी।

**1. पात्रता मानदंड: सभी पूर्ण किए जाने की आवश्यकता है**

<b>पूर्व-योग्यता मानदंड</b>		
a.	पिछले अनुभव की अवधि	वैध प्राधिकरण प्रमाण पत्र के साथ केवल अधिकृत डीलर / चैनल पार्टनर जिसके पास न्यूनतम 5 वर्ष (यानी जिस माह में आवेदन आमंत्रित किया गया है, उससे पूर्व वाले महीने की अंतिम तिथि को पूर्ण पिछले 5 वर्षों) के दौरान समान कार्य करने के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त है। आवेदक को पिछले 5 वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दिखाते हुए अपनी ग्राहक सूची प्रस्तुत करनी चाहिए। सूची में ग्राहक का नाम, निष्पादित कार्य का मूल्य, कार्य शुरू करने और समाप्त होने की तिथि, देरी के कारण, यदि कोई हो, आदि जैसे विवरण शामिल होंगे। आवेदक को 5 वर्ष का न्यूनतम अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए।
b.	प्रत्येक पूर्ण कार्य का न्यूनतम मूल्य (योग्यता)	पिछले 5 वर्षों के दौरान इसी तरह के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव यानी जिस माह में आवेदन आमंत्रित किया गया है उससे पूर्व के महीने के अंतिम दिन समाप्त पांच वर्ष में वाले घरेलू वाटर प्युरीफायर की सर्विसिंग करने का अनुभव हो और उसका मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए: (a) तीन पूर्ण किए गए कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं है, या (b) दो पूर्ण किए गए कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम नहीं होगी, या (c) अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम लागत वाला एक पूर्ण कार्य
c.	वार्षिक टर्नओवर	31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अनुमानित लागत का 100 प्रतिशत या उससे अधिक।
d.	ऋणशोधन क्षमता	अनुलग्नक-III में दिए गए प्रो फॉर्मा के अनुसार बैंकर का मूल्य प्रमाण पत्र रु. 8,36,896/- से कम नहीं होना चाहिए।
e.	सेवा सेटअप	निविदा के भाग I में निर्दिष्ट कार्य के लिए सेवाएं देने हेतु पूर्ण रूप से सेवा सेटअप पटना में उपलब्ध होना चाहिए। ( पटना में सेवा सेटअप के प्रमाण के रूप में बिजली बिल/टेलीफोन बिल/रेंट एग्रीमेंट जैसे दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए। )

--	--	--

2. फर्म के पास मेसर्स केंट/यूरेका फोर्ब्स/लिवप्योर/किसी भी प्रतिष्ठित कंपनी का वैध प्राधिकार प्रमाण पत्र होना चाहिए। कृपया प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।
3. अधिमानतः पटना, बिहार में अपना कार्यालय / शाखा होनी चाहिए।
4. निविदा देने वाली फर्मों/कंपनियों का अनुसूचित बैंकों में एक बैंक खाता होना चाहिए और उन्हें यह वचन देना चाहिए कि वे डिजिटल मोड (आरटीजीएस/एनईएफटी आदि) के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए तैयार हैं।
5. बैंक को संतुष्ट करने के इच्छुक निविदाकारों की विफलता की स्थिति में; बैंक उन्हें डाउनलोड किए गए निविदा प्रपत्रों/दस्तावेजों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
6. ऊपर पैरा 3 में उल्लिखित सभी जानकारी/दस्तावेजों को बैंक की परीक्षा के लिए ई-निविदा के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। जांच के बाद, यदि किसी ठेकेदार के पास अपेक्षित पात्रता नहीं पाई जाती है, तो उनकी निविदाएं (कीमत बोली)। आगे की प्रक्रिया के लिए बैंक द्वारा नहीं खोला जाएगा।
7. निर्धारित प्रपत्र में निविदा दो भागों में ऑनलाइन जमा की जाएगी। भाग- I निविदा में प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें, निविदाकारों का कवरिंग लेटर, निविदाकर्ताओं की अतिरिक्त शर्तें, यदि कोई हो, और एनईएफटी हस्तांतरण एनईएफटी के रूप में ₹16,738/- का ईएमडी शामिल होगा, जो (एनईएफटी के लिए बैंक विवरण हैं - खाता नाम: भारतीय रिजर्व बैंक, पटना; खाता संख्या: 186003001; आईएफएस कोड-RBISOPTPA01; टिप्पणियां; फर्म का नाम और कार्य विवरण (कृपया IFSC कोड के 5वें और 10वें अक्षर को "शून्य" के रूप में पढ़ें)), 02 जनवरी, 2025 को 14.00 बजे तक भारतीय रिजर्व बैंक, पटना के पक्ष में देय होगा। असफल निविदाकर्ता को बयाना धन जमाराशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।
8. सफल निविदाकर्ता द्वारा उनकी निविदा के साथ भुगतान की गई 16,738/- रुपये की बयाना राशि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संविदा के निष्पादन और उचित पूर्ति के लिए सुरक्षा जमा के रूप में रखी जाएगी। उक्त जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल निविदाकर्ता का ईएमडी कार्य आदेश जारी करने से 1 वर्ष की वैधता के साथ सुरक्षा जमा या बैंक गारंटी के रूप में सफल निविदाकर्ता द्वारा संविदा राशि का 5% जमा करने के बाद वापस कर दिया जाएगा। यदि संविदा का नवीनीकरण किया जाता है तो सफल बोलीदाता संविदा की आगे की अवधि के लिए संविदा मूल्य का @ 5% प्रतिभूति जमा जमा करने के लिए बाध्य है।
9. निविदाओं का भाग I निविदाओं के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में ऑनलाइन खोला जाएगा जो उपस्थित होना चुनते हैं। निविदा का भाग II बाद की तारीख को खोला जाएगा जिसके बारे में निविदाओं को अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा।
10. बैंक अपने ग्राहकों और बैंकरों से निविदाकर्ता के पिछले कार्य निष्पादन पर रिपोर्ट प्राप्त करेगा। बैंक निविदाओं के भाग II को खोलने से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी निविदाकर्ता के पास किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपेक्षित पात्रता नहीं पाई जाती है और/या उसके ग्राहकों और/या उसके बैंकरों से प्राप्त उसकी निष्पादन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक निविदा के भाग- I को खोलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ईएमडी के साथ निविदा के भाग- II वाले उसके सीलबंद कवर जैसा वह है, उसी स्थिति में अस्वीकार करते हुए उसे वापस लौटा दिया जाएगा।

बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

11. बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसलिए बैंक कोई कारण बताए बिना सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
12. ई-निविदाओं का भाग-I। भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों द्वारा एमएसटीसी पोर्टल पर खोला जाएगा।
13. निविदा का भाग-II। केवल उन निविदाओं के लिए जो बैंक की आवश्यकता (पूर्व-अर्हता मानदंड) को पूरा करते हैं, बाद की तारीख को खोला जाएगा जिसकी सूचना उन ठेकेदारों को दी जाएगी जिन्होंने भाग-I मूल्यांकन के अनुसार अर्हता प्राप्त की है।
14. प्रत्येक निविदा दस्तावेज पर निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जो संविदा की शर्तों, कार्य के दायरे, विशेष शर्तों आदि से खुद को परिचित करते हैं। किसी भी दस्तावेज के साथ कोई भी निविदा इस तरह से हस्ताक्षरित नहीं की जाएगी।
15. निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह केवल विवरण भरने के लिए बैंक द्वारा जारी किए गए प्रपत्रों का उपयोग करे। निविदाकर्ता द्वारा किए गए निविदा प्रपत्र के पाठ में कोई भी जोड़/परिवर्तन वैध नहीं होगा और इसे अमान्य माना जाएगा। ईमेल या डाक द्वारा प्रस्तुत निविदा / आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
16. फर्म की ओर से प्रस्तुत निविदा पर फर्म के सभी भागीदारों या एक भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके पास प्रस्तावित संविदा में प्रवेश करने के लिए फर्म की ओर से या किसी कंपनी के मामले में पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति द्वारा आवश्यक अधिकार है। अन्यथा बैंक द्वारा निविदा को अस्वीकार कर दिया जा सकता है।
17. भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए स्वयं को बाध्य नहीं करता है और ऐसा करने के लिए कोई कारण बताए बिना, किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।
18. निविदाकर्ता को अपनी जिम्मेदारी पर और अपने स्वयं के खर्चों पर सभी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो निविदा बनाने के उद्देश्य से और संविदा में प्रवेश करने के लिए आवश्यक हो सकती है और काम की साइट का निरीक्षण करना चाहिए, सभी स्थानीय परिस्थितियों, काम तक पहुंच के साधन, कार्य की प्रकृति और उससे संबंधित सभी मामलों से खुद को परिचित करना चाहिए।
19. प्रथम दृष्टया जांच के बाद, यदि कोई ठेकेदार अपेक्षित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हुए नहीं पाया जाता है, तो उसके द्वारा प्रस्तुत निविदा पर आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी।

क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिज़र्व बैंक पटना  
संपदा विभाग

## **निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश**

निविदा दो भागों अर्थात भाग- I और भाग- II में ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी।

**निविदा का भाग-I बैंक की आवासीय कॉलोनियों और मुख्य कार्यालय भवन (एमओबी), पटना में लिवप्योर और अन्य मेक वाटर स्टोरेज प्युरीफायर (आरओ + यूवी आधारित) के व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी) के लिए ई-निविदा शीर्षक से निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत किया जाएगा:**

- (i) निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर के साथ मुख्तारनामा/प्राधिकार।
- (ii) बैंक निविदाकर्ता द्वारा किसी भी अतिरिक्त शर्तों की शर्त को हतोत्साहित करता है। हालांकि, यदि निविदाकर्ता कार्य के लिए निविदा देते समय किसी भी शर्त/स्पष्टीकरण/कवरींग पत्र को शामिल करना चाहता है, तो उसे निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत करना होगा और भाग-I के तहत प्रस्तुत करना होगा:
  - a) वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में विचलन, यदि कोई हो, की सूची।
  - b) तकनीकी विनिर्देश में विचलन की सूची, यदि कोई हो।
  - c) कोई अन्य तकनीकी जानकारी जो निविदाकर्ता प्रस्तुत करना चाहता है।
- (iii) बैंक द्वारा जारी निविदा दस्तावेज (भाग- I) - विधिवत मुहर लगाई गई और हस्ताक्षरित।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए स्वयं को बाध्य नहीं करता है और ऐसा करने के लिए कोई कारण बताए बिना, किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

**3. सूचना एकत्र करना और साइट निरीक्षण:** निविदाकर्ता को अपने लिए और अपने स्वयं के खर्च पर सभी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो निविदा के उद्देश्य से और संविदा में प्रवेश करने के लिए आवश्यक हो सकती है और पूर्व अनुमति के साथ कार्य स्थल का निरीक्षण करना चाहिए और कार्य की प्रकृति और उससे संबंधित मामले, सभी स्थानीय परिस्थितियों, कार्य तक पहुंच के साधनों से खुद को परिचित करना चाहिए। ऐसे मामलों में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा और मध्यस्थता के लिए खुला नहीं होगा।

**4. निविदा में उद्धृत दरें पूरी वस्तु के लिए होंगी जिसमें सभी स्थानों के लिए साइट पर आवश्यक सामग्री, श्रम, उपकरण और संयंत्र आदि शामिल हैं। इस दर में जीएसटी + कोई अन्य कर, शुल्क, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा काम के संविदा पर लेवी भी शामिल होगी। दरें निश्चित होंगी और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा घोषित वैधानिक न्यूनतम मजदूरी में यदि कोई परिवर्तन हो, तो उन्हें छोड़कर, विनिमय भिन्नताओं, श्रम शर्तों, रेलवे मालभाड़े में उतार-चढ़ाव या किसी भी शर्त के अधीन नहीं होंगी। दरों में परिवहन, लोडिंग और अनलोडिंग, माल ढुलाई शुल्क, पारगमन बीमा आदि भी शामिल होंगे।**

5. निविदा के भाग-॥ में कोई शर्त नहीं होगी, लेकिन बैंक की आवासीय कॉलोनियों और मुख्य कार्यालय भवन (एमओबी), पटना में लिवप्योर और अन्य मेक वाटर स्टोरेज प्युरीफायर (आरओ+यूवी आधारित) के व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी) के लिए ई-निविदा शीर्षक वाली मात्राओं की अनुसूची में केवल कीमत बोली शामिल होगी। इस भाग में केवल भारतीय रुपये में कीमतें शामिल होंगी और प्रारूप (भाग - ॥) के अनुसार मूल्य का विस्तृत विवरण केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।
6. दरें: दरें एमएसटीसी में ऑनलाइन उद्धृत की जाएंगी। यदि किसी भी वस्तु के लिए दर का उल्लेख निविदा में नहीं किया गया है, तो निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा। निविदा के भाग ॥ के खुलने के बाद दर, विनिर्देशों या शर्तों में किसी भी बदलाव पर विशेष रूप से किसी भी सलाह पर विचार नहीं किया जाएगा।
- दरें भी नियत होंगी और संविदा की पूरी अवधि और/या उसके विस्तार के लिए वैध होंगी और विनिमय भिन्नताओं, श्रम शर्तों, माल ढुलाई शुल्क में उतार-चढ़ाव या किसी भी शर्त के अधीन नहीं होंगी।
  - निविदा में उद्धृत दरों में सभी शुल्क शामिल होंगे। निविदाकर्ताओं को अपनी दरों में माल और सेवा कर और केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य प्रचलित कर, रॉयल्टी और शुल्क, यदि लागू हो, को शामिल करना चाहिए। माल और सेवा कर और किसी भी अन्य कर, शुल्क या लेवी के संबंध में कोई अलग दावा, चाहे वह मौजूदा हो या भविष्य में, नियोक्ता द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
7. **लंपसम आधार पर कार्य निष्पादन:** ठेकेदार को ध्यान देना चाहिए कि जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, निविदा केवल लंपसम आधार पर कार्य निष्पादन के आधार पर है तथा उसका ध्यान इस बात पर आकर्षित किया जाता है कि प्रत्येक कार्य के लिए दरें सही, कार्यान्वयन योग्य और स्व-सहायक होनी चाहिए। निविदा के भाग-॥ में दी गई मात्राएँ कार्य के कुल विस्तार का अनुमानित संकेत देती हैं, लेकिन किसी भी सीमा तक भिन्न हो सकती हैं और यहां तक कि छोड़ी भी जा सकती हैं, जिससे संविदा के कुल मूल्य में परिवर्तन होगा। ऐसी स्थिति में दावों को अनुपातिक आधार पर स्वीकार किया जाएगा।
8. **निविदा प्रारूप:** निविदाकर्ता केवल बैंक द्वारा जारी किए गए फॉर्म का उपयोग जानकारी भरने के लिए करेगा। निविदाकर्ता द्वारा किए गए निविदा प्रपत्र के पाठ में कोई भी जोड़/परिवर्तन वैध नहीं होगा और इसे अमान्य और शून्य माना जाएगा।
9. **निविदा का खोला जाना :**
- निविदाओं का **भाग- ॥ 02 जनवरी, 2025 को 15.00 बजे** खोला जाएगा (यदि इस दिन अवकाश होता है, तो निविदाओं को बैंक के अगले कार्य दिवस पर खोला जाएगा) निविदाकर्ताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जो निविदाकर्ताओं द्वारा उपस्थित होने के लिए चुने जाते हैं।
  - निविदाकर्ता द्वारा दी गई किसी भी अतिरिक्त शर्त को स्वीकार करना बैंक के लिए अनिवार्य नहीं है, निविदाकर्ता अपनी सभी शर्तों को वापस लेंगे, जो बैंक को स्वीकार्य नहीं हैं।

- c) बैंक निविदा के भाग-I को खोलने और निविदा के भाग-II को प्रस्तुत करने के बाद भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- d) निविदा का भाग- II बाद की तारीख को खोला जाएगा, जिसकी सूचना निविदाकर्ताओं को अग्रिम रूप से दी जाएगी।
10. **अंतिम तिथि:** किसी भी परिस्थिति में 02 जनवरी, 2025 को 14.00 बजे के बाद प्रस्तुत की जाने वाली कोई भी निविदा नहीं खोली जाएगी/ उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. बैंक संविदा को स्वीकार करने में सफल बोलीदाता की विफलता की स्थिति में संविदा को रद्द करने, बैंक के साथ करार पर हस्ताक्षर करने और कार्य आदेश प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर कार्य निष्पादन सुरक्षा जमा/गारंटी प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
12. **अयोग्यता – छुटे हुए और अहस्ताक्षरित दस्तावेज:** निविदा फॉर्म अधिमानतः केवल अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए। यदि कोई दस्तावेज छुट गया है या अहस्ताक्षरित है, तो बैंक अपने विवेकानुसार निविदा को अमान्य कर सकता है।
13. **उप-संविदा:** संविदा के किसी भी हिस्से के उप-संविदा की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि बैंक द्वारा लिखित रूप में सहमति न हो।
14. **स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार:** भारतीय रिज़र्व बैंक सबसे कम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए खुद को बाध्य नहीं करता है और ऐसा करने के लिए कोई कारण बताए बिना किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। निविदाकर्ता जिसकी निविदा स्वीकार नहीं की जाती है, वह निविदाओं को प्रस्तुत करने के माध्यम से या उसके संबंध में उसके द्वारा किसी भी लागत, शुल्क, क्षति और व्यय का दावा करने का हकदार नहीं होगा, भले ही बैंक को निविदा को संशोधित करने/वापस लेने का अधिकार हो।
15. बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार वाटर प्यूरीफायर की मात्रा बढ़ या घट सकती है। हालांकि, कार्य के दायरे के अनुसार अनुरक्षित/सर्विस किए गए वाटर प्यूरीफायरों की वास्तविक संख्या के आधार पर भुगतान प्रभावित होगा।
16. वाटर प्यूरीफायर की सर्विसिंग/मरम्मत अनुसूची के अनुसार की जानी चाहिए, जिसमें विफल रहने पर मशीन की सर्विस हेतु बैंक किसी अन्य अधिकृत पार्टी को बुलाने का अधिकार सुरक्षित रखता है और लागत में अंतर, यदि ऐसे मामलों में कोई हो, तो देय राशि या ईएमडी/सुरक्षा जमा से वसूल किया जाएगा।
17. **निविदा की वैधता:** निविदा तथा उसमें उल्लिखित कीमतें, भाग-I के खुलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए प्रारंभिक रूप से वैध रहेंगी, इस अवधि को निविदाकर्ता द्वारा लिखित में पारस्परिक सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस अवधि के दौरान निविदाकर्ता निविदा को रद्द या वापस नहीं ले सकता और प्रस्तावित दरों में परिवर्तन नहीं कर सकता। तकनीकी निविदा खुलने के बाद निविदा वापस लेने की स्थिति में बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

## कार्य का दायरा

### **व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी) और सामान्य नियम और शर्तें**

- बैंक ने 5 कॉलोनियों (अधिकारियों के फ्लैट और स्टाफ क्वार्टर) और बैंक के मुख्य कार्यालय भवन में लिवप्योर और अन्य मेक के 310 आरओ+यूवी वाटर प्यूरीफायर लगाए हैं। संविदा की निरंतरता के दौरान वाटर प्यूरीफायर की संख्या बढ़ और घट सकती है। हालांकि, वाटर प्यूरीफायर की वास्तविक संख्या के अनुसार आनुपातिक आधार पर भुगतान किया जाएगा। यह संविदा एक वर्ष की अवधि के लिए वैध है और संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने पर वार्षिक आधार पर (निविदा के खंड 7 के अनुसार) एक ही दर पर दो साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
- इसमें सीएएमसी अवधि के दौरान शिकायत के अनुसार यूनिट चेकअप और सामान्य सफाई, कार्ट्रिज की रासायनिक सफाई और झिल्ली को बदलना शामिल होगा। सीएएमसी निवारक के साथ-साथ टूटने के रखरखाव के लिए है और इसमें सीएएमसी अवधि के दौरान पार्ट्स (सभी प्रकार के फिल्टर, आरओ बूस्टर पंप, प्री-फिल्टर कैंडल, यूवी लैंप, पाइप, प्री फिल्टर हाउसिंग, ट्रांसफार्मर, रिले, कार्बन, टैंक बॉडी, झिल्ली, वजन सेंसर, अपशिष्ट कलेक्टर, इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड, सोलनॉइड वाल्व, स्विच, क्वार्ट्ज ग्लास, घिसे हुए हिस्से आदि) की मरम्मत और प्रतिस्थापन शामिल है। कार्य के दायरे में वाटर प्यूरीफायर के कार्य निष्पादन की जांच भी शामिल है और प्रत्येक विजिट के बाद सेवा रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संविदा अवधि के दौरान वर्ष में सभी उपभोग्य सामग्रियों जैसे कार्ट्रिज, कैंडल, पोस्ट कार्बन, झिल्ली, तलछटी फिल्टर और कार्बन फिल्टर आदि का मुफ्त प्रतिस्थापन अनिवार्य है।
- व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा में किसी भी ब्रेकडाउन कॉल में भाग लेने के साथ-साथ प्रस्तावित प्रणाली के आवधिक रखरखाव में भाग लेना शामिल होगा, जिसमें यदि आवश्यक हो तो खराबी की पहचान करना और सुधारना, या आवश्यक भागों/घटकों को बदलना शामिल है। कल-पुर्जे ठेकेदार के दायरे में हैं।
- ठेकेदार को सेवा अनुरोधों या ब्रेकडाउन कॉल में भाग लेने में देरी से बचने के लिए तलछट फिल्टर, कार्बन फिल्टर, आरओ झिल्ली, प्री-फिल्टर को अग्रिम रूप से स्टॉक करना चाहिए।
- ठेकेदार एक तिमाही में की गई मशीनवार सेवाओं के रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा। इस रिकॉर्ड पर कॉलोनी के संबंधित केयरटेकर/सहायक केयरटेकर द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- ठेकेदार आरबीआई, पटना के सुरक्षा और संरक्षा मानदंडों के अनुसार मशीन सर्विसिंग करने वाले अपने इंजीनियरों/तकनीशियनों के लिए प्रवेश पास प्राप्त करने के लिए बैंक के अधिकारियों से अग्रिम रूप से संपर्क करेगा।
- कार्य करने की असुरक्षित पद्धति, ठेकेदार द्वारा गलत संचालन और सावधानियों का पालन न करने के कारण उपकरण को हुई क्षति पर ठेकेदार द्वारा पूरी तरह से मुआवजा दिया जाएगा।
- ठेकेदार अपने सेवा इंजीनियरों/तकनीशियनों के परिवहन के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करेगा और जब भी ब्रेकडाउन में भाग लेने के लिए आवश्यक हो, साइट पर आवश्यक पुर्जों/वस्तुओं को ले जाने के लिए भी व्यवस्था करेगा।
- ठेकेदार को काम करने के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव के साथ पर्याप्त संख्या में योग्य कर्मियों को तैनात करना चाहिए।

- निविदाकर्ता को टेलीफोन पर शिकायत दर्ज करने के 24 घंटे के भीतर शिकायतों पर ध्यान देना होगा। शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए सभी रहने वालों को 24x7 के लिए उपलब्ध एक संपर्क नंबर प्रदान किया जाएगा जिसे सभी वाटर प्यूरीफायर इकाइयों पर चिपकाया जाएगा। सीएएमसी राशि में आरओ + यूवी वाटर प्यूरीफायर और श्रम शुल्क के सभी भाग शामिल हैं।
- प्लास्टिक बॉडी सहित वाटर प्यूरीफायर, मेम्ब्रेन, फिल्टर, मोटर, पंप, सोलनॉइड वाल्व के किसी भी हिस्से के लिए कोई अतिरिक्त लागत का भुगतान नहीं किया जाएगा और इसे मुफ्त में बदला/मरम्मत की जाएगी।
- दोषपूर्ण भागों को फर्म द्वारा लिया जा सकता है।
- **जुर्माना:** यदि फर्म शिकायत दर्ज करने और शिकायतकर्ता की लिखित रिपोर्ट करने के 24 घंटे के भीतर वाटर प्यूरीफायर की खराबी को सुधारने में सक्षम नहीं है, तो प्रति शिकायत 50/- (1 शिकायत = 1 मशीन) का जुर्माना लगाया जाएगा और बिल से काट लिया जाएगा।

### **संविदा शुल्क द्वारा कवर की जाने वाली सेवाएं निम्नलिखित हैं:**

1. संविदा की अवधि के दौरान प्रति वर्ष दो आवधिक सेवा विजिट्स का उल्लेख किया गया है, जब प्यूरीफायर/अटैचमेंट की पूरी तरह से जांच की जाएगी, साफ किया जाएगा, सर्विस की जाएगी और समायोजित किया जाएगा।
2. संविदा अवधि के दौरान कोई भी अतिरिक्त विजिट, जब भी आवश्यक हो, उपकरण के किसी भी टूटने/खराबी की स्थिति में, ग्राहक द्वारा इस संबंध में सूचित किए जाने पर किया जाएगा।
3. कंपनी के असली पुर्जों (अवसादन, सक्रिय कार्बन, आरओ झिल्ली) के सभी कोर-फिल्टर कैंडल्स का प्रतिस्थापन सेवा संविदा अवधि के दौरान हर साल एक बार (अधिकतम) किया जाएगा।
4. सेवा संविदा अवधि के दौरान आवधिक सर्विसिंग या ब्रेकडाउन विजिट के दौरान आवश्यक मरम्मत या नए पुर्जों के साथ अवसादन फिल्टर, स्वाद बढ़ाने वाला, सक्रिय कार्बन ब्लॉक फिल्टर, आरओ झिल्ली कैंडल सहित घिसे-पिटे / नष्ट पार्ट्स का प्रतिस्थापन।
5. अधिकतम 24 घंटे तक के साथ उचित समय के भीतर किसी भी संख्या में ब्रेक-डाउन कॉल में भाग लेना।
6. इन निम्नलिखित भागों को सीएएमसी के तहत कवर किया जाएगा और जब ये हिस्से समाप्त हो जाएंगे या दोषपूर्ण हो जाएंगे तो इन्हें बदल दिया जाएगा:
  - a) यूवी लैंप
  - b) सोलनॉइड कॉइल
  - c) आरओ पंप और मोटर
  - d) वाटर प्यूरीफायर नल

उपरोक्त भागों के लिए भुगतान स्थानीय बाजार में प्रचलित दरों के आधार पर सीएएमसी ऑफर में शामिल किया जाएगा।

**7. प्रत्येक वाटर प्यूरीफायर इकाई के लिए एक सेवा कार्ड बनाए रखें** और सेवा कार्ड में एक वर्ष में ब्रेकडाउन के लिए रिपोर्ट किए गए सभी दोषों और सभी कॉलों को पंजीकृत करें।

प्रत्येक इकाई के लिए सर्विस कार्ड की फोटो कॉपी बिल के साथ जमा करना होगा। रजिस्टर को इंजीनियर के अवलोकन के लिए 'हर तिमाही' बैंक में लाया जाना है।

8. बिल के भुगतान पर सेवा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर यथानुपात आधार पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अंतिम प्रयोक्ता (निवासी/अधिनियम) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित फिल्टर में परिवर्तन दर्शाने वाली रिपोर्ट भी शामिल है।

9. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि सभी मशीनों पर रिपोर्टिंग ब्रेकडाउन के एस्केलेशन मैट्रिक्स का एक स्टिकर चिपकाया गया है।

10. संविदा में निम्नलिखित परिस्थितियों में विज़िट/ पार्ट्स बदलने को शामिल नहीं किया जाएगा:

a) बाढ़, आग, दुर्घटना, दंगा, टूट-फूट, कीट, दुरुपयोग, अनुचित या लापरवाह उपयोग, छेड़छाड़ और पाइप से रिसाव आदि के कारण उपकरणों को होने वाली क्षति।

b) उपयोगकर्ता के मैन्युअल में उल्लिखित ऑपरेटिंग निर्देशों और सावधानियों का पालन करने में विफलता के कारण उपकरण को नुकसान।

c) गैर-अनुशंसित पुर्जों के उपयोग के कारण दोष।

d) ग्राहकों के लिए पुनः प्रशिक्षण या किसी भिन्न स्थान पर पुनः स्थापना के लिए दौरे।

11. यदि एजेंसी के कर्मियों के कदाचार / दुर्व्यवहार के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है, या काम की खराब गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो एजेंसी के लिए यह अनिवार्य होगा कि बैंक द्वारा अधिसूचित किए जाने के तुरंत बाद उक्त कर्मियों को साइट से हटा दिया जाए। एजेंसी द्वारा इस प्रकार नियुक्त किए गए प्रत्येक कर्मचारी को झूठी के दौरान कंपनी का आई-कार्ड, फर्म का नाम और लोगो वाली वर्दी, जूते/सैंडल और अपने नाम का बैज पहनना होगा। इन्हें एजेंसी द्वारा अपनी लागत पर प्रदान किया जाना है। बैंक को एजेंसी के किसी भी व्यक्ति को हटाने के लिए कहने का अधिकार है, जो अपने कर्तव्य के निर्वहन में सक्षम और व्यवस्थित नहीं पाया जाता है।

एजेंसी किसी भी उप-एजेंसी को शामिल नहीं करेगी या किसी भी तरह से किसी अन्य व्यक्ति को संविदा हस्तांतरित नहीं करेगी। किसी भी मुकदमेबाजी या एजेंसी के कर्मियों के किसी भी कार्य से उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता को सीधे एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा, जिसमें सभी खर्च/जुर्माना शामिल हैं। संबंधित एजेंसी के कर्मचारी आवश्यकता पड़ने पर अदालत में उपस्थित होंगे। बैंक संविदा की समाप्ति के बाद एजेंसी के किसी भी कर्मचारी को रोजगार प्रदान करने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगा।

#### **4. करार प्रस्तुत करना :**

बैंक से उसकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल फर्म चौदह (14) दिनों के भीतर औपचारिक संविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगी। करार के निष्पादन के लिए आवश्यक स्टॉप पेपर (₹1000) की लागत फर्म द्वारा वहन की जाएगी। यह करार एक वर्ष के लिए वैध होगा और इसे अधिकतम तीन साल तक नवीनीकृत किया जा सकता है। करार के अनुच्छेद का प्रारूप अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

#### **5. कार्य निष्पादन बैंक गारंटी:**

सफल फर्म एक वर्ष की अवधि के लिए वैध संविदा राशि के 5% की कार्य निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करेगी। नए/विस्तारित पीबीजी को प्रत्येक वर्ष संविदा के नवीकरण पर प्रस्तुत करना होगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में जमा करने में देरी के मामले में, पीबीजी जमा करने में देरी के लिए शुल्क बैंक दर पर ठेकेदार के बिलों से वसूल किया जाएगा। पीबीजी जमा न करने की स्थिति में, बैंक पीबीजी जमा करने / संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने तक पीबीजी राशि के बराबर राशि रोक सकता है। पीबीजी का प्रारूप अनुलग्नक-II में संलग्न है।

### **व्यक्ति और संपत्ति को नुकसान के संबंध में बीमा:**

ठेकेदार इस संविदा के कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी प्रकार की लापरवाही, दुर्घटना या अन्य कारण से उत्पन्न व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं को हुए सभी चोटों तथा संपत्ति की संरचनात्मक एवं सजावटी क्षति के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे यह चोट या क्षति ठेकेदार, उसके कर्मचारियों या नामित उप ठेकेदारों द्वारा की गई लापरवाही या उपेक्षा के कारण उत्पन्न हो। इस धारा के अंतर्गत दायित्व में आसपास की इमारतों, सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों या मार्गों की क्षति तथा इस संविदा के विषय की इमारतों एवं अन्य संरचनाओं की क्षति शामिल है। ठेकेदार इस संविदा के विषय की इमारतों एवं संरचनाओं को ठंड, बारिश, हवा या अन्य मौसमी दुष्प्रभावों से हुए नुकसान के लिए भी उत्तरदायी होगा। ठेकेदार रिज़र्व बैंक को ऐसी चोट या क्षति से उत्पन्न सभी हानि, व्यय तथा किसी भी कानून के तहत किए गए दावों से उत्पन्न क्षतिपूर्ति या नुकसान की राशि के लिए क्षतिपूर्ति करेगा और करता रहेगा।

ठेकेदार इस खंड में उल्लिखित हर प्रकार के सभी नुकसान की भरपाई करेगा, ताकि पूरे संविदा कार्यों को हर तरह से पूरा और सही किया जा सके और ताकि तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान के लिए सभी दावों की भरपाई की जा सके या अन्यथा पूरा किया जा सके।

मानव जीवन (ठेकेदार से संबंधित व्यक्ति नहीं) के नुकसान/अक्षमता को कवर करने के लिए ठेकेदार द्वारा तीसरे पक्ष की देयता को कवर करने वाली एक बीमा पॉलिसी ली जाएगी। इसमें स्थल पर उक्त ठेका कार्य के निर्माण/चालू होने के दौरान अन्य की सामग्री/उपकरण/संपत्तियों को नुकसान होने का जोखिम भी शामिल होगा। मानव जीवन के नुकसान या पूर्ण/आंशिक विकलांगता के मुआवजे के लिए तीसरे पक्ष के दायित्व का मूल्य पूर्ण और आंशिक विकलांगता के लिए आवश्यक वैधानिक मूल्य का होगा और फिर भी इस तरह के मुआवजे को कवर करेगा जो किसी न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। अन्य के उपकरणों/संपत्ति को होने वाले नुकसान के लिए कवर बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। ठेकेदार के उप-ठेकेदार पॉलिसी में धारक या लाभार्थी नहीं होंगे और न ही उन्हें पॉलिसी में नामित किया जाएगा। बैंक ठेकेदार के साथ पॉलिसी का प्रमुख धारक होगा। बैंक पॉलिसी समनुदेशित करने का विशेष अधिकार सुरक्षित रखता है।

ठेकेदार नियोक्ता को जनता के किसी सदस्य या अन्य तीसरे पक्ष द्वारा कार्यों के संबंध में या उसके परिणामों में उत्पन्न हो सकने वाले उन सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा जो नियोक्ता के खिलाफ किए जा सकते हैं, और अपने स्वयं के खर्चों पर संविदा के वास्तविक समापन तक नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में बीमा पॉलिसी लेगा, उसे प्रभावी रखने की व्यवस्था करेगा, और इस संविदा की निरंतरता के दौरान समय-समय पर नियोक्ता के साथ ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियाँ जमा करेगा। ठेकेदार श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम या अन्य कानूनों के तहत अपने या उप ठेकेदारों के कर्मचारियों के दावों के लिए भी रिज़र्व बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।

ठेकेदार किसी भी दायित्व के लिए जिम्मेदार होगा जो ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों से निष्पादित किया जा सकता है और इस संविदा के पारगमन, भंडारण, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग नीति के लापरवाह या दोषपूर्ण संचालन के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति, जानवर या संपत्ति को अन्य सभी नुकसान के लिए भी जिम्मेदार होगा। वह किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली किसी भी लागत, शुल्क या व्यय के संबंध में और उससे उत्पन्न होने वाले मुआवजे या क्षति के किसी भी पुरस्कार के संबंध में नियोक्ता को क्षतिपूर्ति भी देगा।

नियोक्ता किसी भी नुकसान की राशि में कटौती करने का हकदार होगा। मुआवजा, लागत, प्रभार और व्यय जो इस तरह के किसी भी दावे या किसी भी या सभी रकम से होने वाली क्षति से उत्पन्न होता है या उसके संबंध में नियोक्ता के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ठेकेदार के कारण होता है। ठेकेदार अपने स्वयं के खर्च पर, एक अनुमोदित कार्यालय के साथ नियोक्ता और स्वयं के संयुक्त नाम पर निम्नलिखित बीमा पॉलिसी को लागू करने और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा और इस संविदा की निरंतरता के दौरान समय से नियोक्ता के पास ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को जमा करेगा।

1. कामगार मुआवजा नीति
2. निम्नानुसार सीमाओं के साथ तृतीय पक्ष देयता नीति:
  - a. ₹ 10,00,000/- प्रति वर्ष
  - b. ₹ 2,00,000/- प्रति घटना

यदि ठेकेदार बीमा पॉलिसियों को लेने/नवीनीकृत करने में विफल रहता है, तो बैंक बीमा पॉलिसी प्राप्त करेगा और ठेकेदार को देय देय बकायों से बीमा प्रीमियम की वसूली करेगा।

### **मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटान:**

संविदा से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी प्रकार के सभी विवाद एवं मतभेद (चाहे कार्य प्रगति के दौरान या पूर्ण होने के बाद उत्पन्न हों, तथा चाहे संविदा के निर्धारण, त्याग या उल्लंघन से पूर्व या उसके बाद हों) को रिज़र्व बैंक को संदर्भित किया जाएगा और उसके द्वारा निपटाया जाएगा, जो अपना निर्णय लिखित रूप में व्यक्त करेगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाणपत्र के रूप में या अन्य रूप में हो सकता है। अपवादित मामलों से संबंधित रिज़र्व बैंक का निर्णय धारा 43 में वर्णित अनुसार अंतिम एवं अपील रहित होगा। परंतु यदि कोई पक्ष उपरोक्त अपवादित मामलों को छोड़कर किसी मामले पर असंतुष्ट हो, तो वह ऐसे निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को लिखित सूचना द्वारा विवादित मामलों को मध्यस्थता के अधीन लाने का आग्रह कर सकता है। इस लिखित सूचना में विवादित मामलों का विवरण दिया जाना चाहिए। यदि दोनों पक्ष सहमत हों, तो एकल मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमति न हो सके, तो प्रत्येक पक्ष अपने पक्ष के लिए एक मध्यस्थ नामित करेगा। दोनों पक्षों द्वारा नामित मध्यस्थ एक अतिरिक्त व्यक्ति को तीसरा मध्यस्थ नियुक्त करेंगे।

विवाचक या विवाचकगण, जैसा भी मामला हो, के पास किसी भी प्रमाण पत्र, राय, निर्णय, मांग या नोटिस को खोलने, समीक्षा करने और संशोधित करने की शक्ति होगी, पिछले खंड में संदर्भित मामलों को छोड़कर, और विवाद के सभी मामलों को निर्धारित करने के लिए जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और जिनमें से नोटिस पूर्वोक्त के रूप में दिया जाएगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थगण, जैसा भी मामला हो, संदर्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर अपना निर्णय देंगे (या इस तरह के आगे विस्तारित समय के रूप में उसके द्वारा तय किया जा सकता है या जैसा भी मामला पार्टियों की सहमति से हो सकता है)। मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान, पार्टियां आपसी सहमति से अपने विवाद या अंतर को सुलझाती हैं या समझौता करती हैं, निपटान या समझौते का अपना संयुक्त ज्ञापन दाखिल करने वाली पार्टियों पर, मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, इस तरह के समझौते या समझौते के संदर्भ में निर्णय देगा।

ऐसा कोई संदर्भ प्राप्त होने पर, संदर्भ से जुड़े हुए आनुषंगिक खर्चों और निर्णय के संबंध में मध्यस्थ या मध्यस्थों का विशेषाधिकार होगा जो उसकी राशि निश्चित कर सकते हैं या पक्षों के बीच में बाँटने का निर्देश दे सकते हैं और यह भी निर्देश दे सकते हैं कि किसके द्वारा किसको और कैसे भुगतान किया जाएगा।

इस प्रस्तुति को भारतीय माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 या उसके सांविधिक संशोधन के आशय के अंतर्गत विवाचन माना जाएगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय, जैसा भी मामला हो, पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। यह सहमति है कि ठेकेदार किसी भी ऐसे मामले, प्रश्न या विवाद को मध्यस्थता में संदर्भित किए जाने के कारण कार्यों को पूरा करने में विलंब नहीं करेगा, बल्कि सभी उचित सावधानी के साथ कार्य जारी रखेगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों के निर्णय दिए जाने तक रिज़र्व बैंक के निर्णय का पालन करेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई निर्णय, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार को रिज़र्व बैंक के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के उसके दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा, जो कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंधित है। रिज़र्व बैंक और ठेकेदार यहाँ सहमत हैं कि इस धारा के तहत मध्यस्थता संविदा के तहत किसी भी कार्यवाही के अधिकार के लिए पूर्व शर्त होगी।

यह करार पटना में माननीय उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

**बैंक के परिसर में प्रवेश करने के लिए सभी कर्मकारों/पर्यवेक्षकों/अधिकारियों का पुलिस सत्यापन:** एजेंसी अपने कर्मियों के चरित्र और पूर्ववृत्त और उम्र, शैक्षिक योग्यता, नाम और स्थायी पता, संपर्क नंबरों से संबंधित अन्य विवरणों के बारे में अपनी लागत पर पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करेगी, जो उन्हें बैंक के परिसर में ड्यूटी के लिए नियुक्त करने से पहले उनके पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ के साथ इस संविदा के तहत प्रदान किए जाने वाले हैं। केवल सक्षम शरीर, शारीरिक रूप से फिट, अच्छी तरह से प्रशिक्षित, साक्षर, अच्छी तरह से व्यवहार करने वाले, अनुशासित और ईमानदार कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इस आशय का प्रमाण पत्र कि बैंक की सेवाओं में तैनात सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन किया जा चुका है और फर्म के पास उपलब्ध हैं, संविदा शुरू होने के एक महीने के भीतर बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बैंक संविदा अवधि के दौरान किसी भी समय इन्हें सत्यापित कर सकता है।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और यदि कार्य मुझे/हमें सौंपा जाता है तो यह मुझे/हमारे लिए बाध्यकारी रहेगा।

ठेकेदार के हस्ताक्षर:

फर्म का नाम :

फर्म की मुहर :

## **नवीनीकरण पर सीएमएसी राशि:**

**व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएमएसी):** निविदाकार एक वर्ष के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा के लिए भाग II में शुल्क उद्धृत करेंगे। सीएमएसी के लिए दरें संविदा की अधिकतम अवधि यानी तीन (03) वर्षों के लिए नियत रहेंगी। सीएमएसी के लिए भुगतान संतोषजनक सेवा प्रदान करने पर तिमाही आधार पर किया जाएगा। सीएमएसी को संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने के अधीन, वार्षिक आधार पर समान दर पर दो वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

तीन साल की संविदा अवधि के दौरान ठेकेदार को देय दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी, हालांकि, ठेकेदार के कार्य निष्पादन और उपयोगकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक के आधार पर संविदा का हर साल नवीनीकरण किया जाएगा। यदि ठेकेदार का निष्पादन असंतोषजनक पाया जाता है तो संविदा को समाप्त भी किया जा सकता है।

### **भुगतान की निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी।**

वार्षिक रखरखाव शुल्क का भुगतान संतोषजनक सेवा प्रदान करने और सेवा रिपोर्ट और निवासियों की पावती के साथ एएमसी बिल जमा करने पर किया जाएगा, जहां सेवा प्रदान की गई है। वाटर प्यूरीफायर की प्रत्येक यूनिट की सर्विस रिपोर्ट के आधार पर भुगतान किया जाएगा और उन वाटर प्यूरीफायर के खिलाफ बिल से राशि कम की जा सकती है, जिनकी सर्विस रिपोर्ट संलग्न नहीं है। सेवा रिपोर्ट में सर्विसिंग की तारीख, प्लैट नंबर, रहने वाले का नाम, टीडीएस रीडिंग और उपयोगकर्ता का हस्ताक्षर होना चाहिए। फर्म को भुगतान जमा करने से पहले बैंक के इंजीनियर/जेई से प्रमाणित बिल और सेवा रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी।

बिल केवल सेवा अवधि के पूरा होने के बाद लेकिन अगले 7 कार्य दिवसों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि बिल इन 7 दिनों की अवधि के बाद प्रस्तुत किया जाता है, जिसका अर्थ है देरी के साथ और यदि बिल जमा करने में देरी के कारण भारत सरकार द्वारा वैधानिक करों से संबंधित कोई विलंब शुल्क/जुर्माना लगाया जाता है, तो इसे केवल ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

**नोट:** तीन (03) वर्ष की अधिकतम संविदा अवधि के लिए संविदा राशि नियत (अपरिवर्तित) रहती है। केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दरों में कोई भी बदलाव केवल ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

यूवी वाटर प्यूरीफायर के सभी दोषपूर्ण भागों को फर्म द्वारा लिया जाएगा और संपत्ति की सीमा से परे संबंधित स्थानीय अधिकारियों के नियमों और विनियमों के अनुसार निपटाया जा सकता है और साइट को सुरक्षा/आग के खतरों से मुक्त रखा जाएगा।

बैंक किसी भी या सभी कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ठेकेदार मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 या इस संबंध में लागू किसी अन्य श्रम कानून/कानून के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए सभी हानियों और दावों, हर्जाने या मुआवजे के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति देगा और क्षतिपूर्ति करेगा।

तारीख

फर्म के हस्ताक्षर

स्थान

(प्राधिकार/मुख्तारनामा धारक व्यक्ति द्वारा)

मोबाइल नंबर और ई-मेल के साथ फर्म का पता:

## खंड II - सुरक्षा कोड

1. साफ-सुथरी कीटाणुमुक्त ड्रेसिंग और रूई की पर्याप्त आपूर्ति सहित प्राथमिक चिकित्सा उपकरण आसानी से सुलभ स्थान पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
2. किसी घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सरकारी अस्पताल ले जाया जाएगा, ऐसे मामलों में जहां चोट के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो।
3. उन सभी कार्यों के लिए श्रमिकों के लिए उपयुक्त और मजबूत मचान प्रदान किए जाने चाहिए जो जमीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते हैं।
4. किसी भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (स्पष्ट) से कम नहीं होनी चाहिए और दो आसन्न पायदानों के बीच की दूरी 30 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाता है तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मजदूर लगाया जाएगा।
5. खुदाई की गई सामग्री को खाई के किनारे के 1.5 मीटर या खाई की गहराई के आधे हिस्से, जो भी अधिक हो, के भीतर नहीं रखा जाएगा। सभी खाइयों और गड्ढों में आवश्यक बाड़ और प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जाएगी।
6. किसी भवन के फर्श में या कार्य के प्लेटफॉर्म में प्रत्येक खुले स्थान को उपयुक्त बाड़ या रेलिंग प्रदान करके व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त साधन प्रदान किए जाएंगे; न्यूनतम ऊंचाई एक मीटर होनी चाहिए।
7. संरचना के किसी भी फर्श, छत या अन्य हिस्से को सामग्री के मलबे से इतना अधिक नहीं लगाया जाएगा कि यह असुरक्षित हो जाए।
8. डामर, सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट और चूने के मोर्टार जैसी सामग्री के मिश्रण और हैंडलिंग पर कार्यरत श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
9. वेल्डिंग कार्यों में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षात्मक आई-शील्ड और दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
10. i) पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप को छोड़कर सीसा या सीसा उत्पादों वाले किसी भी पेंट का उपयोग नहीं किया जाएगा।  
ii) श्रमिकों द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त फेस मास्क की आपूर्ति की जाएगी जब पेंट स्प्रे या सतह के रूप में लगाया जाता है, जिसमें लेड पेंट, सूखा, रगड़ और स्क्रेप किया जाता है।
11. ठेकेदार द्वारा चित्रकारों को चौगा की आपूर्ति की जाएगी और काम करने वाले चित्रकारों को काम बंद होने की अवधि के दौरान धोने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
12. कार्यों में उपयोग की जाने वाली उत्पादन मशीनें और टैकल, उनके संलग्नक, लंगर और समर्थन सहित सही स्थिति में होंगे।
13. सामग्री को उठाने या कम करने में लगाई गई रस्सियाँ, या निलंबन का एक साधन टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त ताकत की होनी चाहिए और दोषों से मुक्त होनी चाहिए।
14. ठेकेदार सांविधिक मानदंडों के अनुसार काम करने के लिए श्रमिकों को सभी सुरक्षा उपकरण प्रदान करेगा।
15. कार्य निष्पादन के दौरान आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपाय भी किए जाएंगे।

### खंड III - अग्नि सुरक्षा

1. साइट पर उपयोग की जाने वाली कटिंग / ड्रिलिंग मशीन और अन्य विद्युत संचालित उपकरणों को सही ढंग से रेटेड विद्युत आउटलेट में प्लग किया जाएगा।
2. केवल आईएसआई चिह्नित 3 पिन प्लग और अन्य उपकरणों और उपस्करों का उपयोग किया जाएगा।
3. उपयोग किए गए विद्युत शक्ति केबल/तारों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए और उन्हें ठीक से रेट किया जाना चाहिए।
4. सभी विद्युत उपकरणों यानी वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि को ऑपरेशन के दौरान लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित रूप से अर्थ किया जाएगा।
5. किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग कार्य शुरू करने से पहले, फायर सेक्शन को सूचित किया जाएगा और अग्निशमन अधिकारियों/कर्मियों द्वारा साइट निरीक्षण के बाद ही काम शुरू किया जाएगा।
6. साइट पर आसानी से सुलभ क्षेत्र में दो बाल्टी पानी और रेत रखी जाएगी।
7. अग्निशमन अधिकारियों द्वारा अनुशंसित और जारी किए गए अग्निशामक यंत्रों को साइट पर रखा जाएगा।
8. प्रयुक्त पेंट ड्रम को ठीक से बंद करने के बाद ही निर्दिष्ट स्टोर में संग्रहीत किया जाएगा।
9. कार्य संबंधी स्वास्थ्य खतरों को रोकने के लिए कामगारों को कार्य की आवश्यकता के आधार पर ठेकेदार द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, हाथ दस्ताने, वेल्डर का मास्क, कान प्लग आदि प्रदान किया जाएगा।
10. सुरक्षा बेल्ट ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाएगी और जमीनी स्तर से 10' से अधिक ऊंचाई से काम करते समय श्रमिकों द्वारा उपयोग किया जाएगा।
11. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास के किसी भी मार्ग का उपयोग किसी भी प्रकार की सामग्री/कचरे को रखने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा।
12. दोनों सीढ़ियों के दरवाजे सामान्य रूप से बंद रखे जाएंगे।
13. किसी भी अग्निशामक यंत्र को उसके निर्दिष्ट स्थान से हटाया/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
14. उपकरण उपयोग में न होने पर बिजली की आपूर्ति मेन स्विच से बंद कर दी जाएगी।
15. काम से उत्पन्न लकड़ी-छीलन और बुरादे को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटा दिया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।
16. कार्य से उत्पन्न किसी भी मलबे को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटा दिया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।
17. कार्यालय समय से परे काम करते समय ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को बैटरी संचालित आपातकालीन लाइट/टॉर्च प्रदान की जाएगी।

**खंड IV: निविदाकर्ताओं का विवरण (नीले पेन से भरा जाना है)**

**A. फर्म का विवरण**

क्र. सं.	ब्योरे	निविदाकर्ता द्वारा भरा जाना है	
1.	अधिकृत डीलर (कृपया प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करें)	प्राधिकार के प्रमाण पत्र के लिए हां/नहीं इंगित करें)	
2.	फर्म की संरचना (साझेदारी/स्वामित्व/सार्वजनिक लिमिटेड)		
3.	मालिक के नाम / फर्म के भागीदार/निदेशक		
4.	पैन तथा जीएसटीके साथ विवरण सहायक दस्तावेज़		
5.	फर्म का पता		
	टेलीफोन		
	ईमेल		
	फैक्स		

**B. हमारे बैंकों का विवरण नीचे दिया गया है:**

क्रम संख्या	विवरण (रेखित रद्द चेक प्रस्तुत करें)	निविदाकर्ता द्वारा भरा जाना है
1	बैंक का नाम	
2	शाखा का पता	
3	खाते का प्रकार	
4	खाता संख्या	
5	आईएफएससी कोड	
6	टेलीफोन और फैक्स नंबर	
7	संपर्क व्यक्ति का नाम	

8	बैंक से फर्म द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा	
9	वह अवधि जिससे फर्म बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है	
C.	हमारे पास बिक्री के बाद सेवा के लिए एक सेवा सेटअप है _____  कृपया पते के लिए बिजली बिल/टेलीफोन बिल प्रस्तुत करें	
<b>क्रम संख्या</b>	<b>ब्योरे</b>	<b>बोलीदाता द्वारा भरा जाना है</b>
(i)	सेवा सेटअप प्रतिष्ठान का नाम	
	पता:	
(ii)	संपर्क व्यक्ति का नाम	
(iii)	टेलीफोन	
	मोबाइल	
	फैक्स नंबर	
(iv)	सेवा सेटअप में प्रतिनियुक्त तकनीशियनों की संख्या/संख्या	
(v)	सेवा केंद्र पर पुर्जों की उपलब्धता:	

तारीख  
स्थान

फर्म के हस्ताक्षर  
(प्राधिकार/मुख्तारनामा धारक व्यक्ति द्वारा)

## अनुलग्नक I

### करार के लिए प्रारूप (सफल निविदाकर्ता के लिए)

(₹1000/- स्टाम्प पेपर पर)

यह करार .....के ..... दिन को एक ओर भारतीय रिज़र्व बैंक, ..... जिसका केंद्रीय कार्यालय मुम्बई में है (इसके बाद इसे "नियोक्ता" कहा गया है) और दूसरी ओर ..... (इसके बाद इसे "निविदाकर्ता" कहा गया है), के बीच किया गया।

जबकि नियोक्ता प्रस्ताव के लिए अनुरोध के अनुसार..... का इच्छुक है

और जबकि निविदाकर्ता यहां निर्धारित शर्तों और संविदा की विशेष शर्तों में निर्धारित शर्तों और संविदा की मात्रा और शर्तों की अनुसूची में निर्धारित शर्तों के लिए विषय कार्य को निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है, जैसा कि संशोधित और अंत में दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है (जिनमें से सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तों" के रूप में संदर्भित किया गया है) बैंक की उक्त आवश्यकता पर दिखाए गए कार्य और/या वर्णित हैं उक्त विनिर्देशों में और उसमें निर्धारित संबंधित दरों पर मात्रा की अनुसूची में शामिल किया गया है, जो उस राशि के रूप में प्राप्त राशि या ऐसी अन्य राशि है जो उसके तहत देय हो जाएगी (इसके बाद "उक्त संविदा राशि" के रूप में संदर्भित)।

#### अब इस पर इस प्रकार सहमति व्यक्त की जाती है -

1. उक्त शर्तों में निर्धारित समय पर और जिस तरीके से भुगतान किया जाना है, उस पर विचार करते हुए, निविदाकर्ता, उक्त शर्तों के आधार पर और उनके अधीन, उक्त विनिर्देशों और मात्रा की अनुसूची में दिखाए गए और वर्णित कार्य को निष्पादित और पूरा करेगा।
2. नियोक्ता निविदाकर्ता को उक्त संविदा राशि या ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा जो उक्त शर्तों में निर्दिष्ट समय पर और तरीके से देय हो जाएगी।
3. उक्त शर्तों और उनके परिशिष्टों को इस करार के हिस्से के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा और इसके लिए पक्षकार क्रमशः उक्त शर्तों का पालन करेंगे और उक्त शर्तों में क्रमशः अपनी ओर से करार का पालन करेंगे।
4. यहां उल्लिखित विनिर्देश, दंड खंड, करार और दस्तावेज इस संविदा का आधार बनेंगे।

5. इस संविदा को माना जाता है -

"बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और आरबीआई पटना की आवासीय कॉलोनियों में रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) वाटर प्यूरीफायर का व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी)। निविदाकर्ता निविदा के भाग। के अनुसार निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। प्रत्येक वर्ष जारी किए जाने पर कार्य आदेश के रूप में केवल एएमसी राशि सूचित की जाएगी।

6. समय को इस संविदा के महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना जाएगा और निविदाकर्ता एतद्वारा कार्य आदेश/स्वीकृति पत्र जारी करने के 14 वें दिन से कार्य शुरू करने के लिए सहमत है, जैसा कि उक्त शर्तों में दिया गया है और 12 महीने के भीतर पूरे कार्य को पूरा करने के लिए सहमत है।

7. इस संविदा के तहत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान केवल भारतीय रिजर्व बैंक, पटना में किए जाएंगे।

8. इस करार से उत्पन्न होने वाले या किसी भी तरह से जुड़े सभी विवादों को ..... में उत्पन्न हुआ माना जाएगा और केवल \_\_\_\_\_ स्थित न्यायालयों को इसे निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

**न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 आदि:**

ठेकेदार को अपने कार्मिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित प्रचलित दर पर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना चाहिए। मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) की इस शर्त के किसी भी उल्लंघन पर ठेका समाप्त किया जाएगा और तदनुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, मौजूदा दर पर प्रति व्यक्ति ईएसआई और पीएफ का भुगतान ठेकेदार द्वारा मौजूदा नियमों के अनुसार हर महीने किया जाना चाहिए और भुगतान किए गए नकद चालान की प्रतियां हर महीने बैंक को जमा करनी चाहिए।

इन भुगतानों और कर्मचारियों की वेतन पर्चियों को करने के लिए लिखित रूप में आवश्यक रिकॉर्ड इसके सत्यापन के लिए मासिक अंतराल पर बैंक को प्रस्तुत किए जाएंगे। इन रिकॉर्डों को बैंक के अधिकारियों की उपस्थिति में ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित/सत्यापित किया जाएगा। ठेकेदार कार्मिकों को अवकाश वेतन, बोनस, उपदान आदि सहित मासिक वेतन के भुगतान के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि उन पर लागू होता है।

ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मजदूरी के भुगतान में देरी पर कर्मियों की ओर से किसी भी शिकायत की कोई गुंजाइश न हो। प्लंबिंग एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारी केवल प्लंबिंग एजेंसी के रोजगार में होंगे, न कि भारतीय रिजर्व बैंक के। ठेकेदार कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निधि के संबंध में नियोक्ता के अंशदान का भुगतान करेगा।

ठेकेदार किसी भी परिस्थिति में ठेकेदार और उसके कर्मचारी के बीच विवाद के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी दंड या दावे के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। यदि ठेकेदार और उसके कर्मचारी/कर्मचारियों के बीच विवाद के कारण कोई दावा या जुर्माना बैंक के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है, तो उसे ठेकेदार से वसूल किया जाएगा।

**अप्रकटीकरण खंड:** ठेकेदार किसी भी जानकारी, सामग्री और रिज़र्व बैंक की अवसंरचना/प्रणाली/उपकरण आदि को, जो करार के संबंध में संविदा संबंधी दायित्वों का निर्वहन करते समय ठेकेदार के पेशेवर या ज्ञान में आ सकता है, किसी भी तीसरे पक्ष को सीधे या परोक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा और सदैव उसे सर्वाधिक गोपनीयता में रखेगा। ठेकेदार संविदा के विवरणों को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय उस हद तक जितना इसके तहत दायित्वों का निर्वहन करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। ठेकेदार बिना रिज़र्व बैंक की पूर्व लिखित स्वीकृति के किसी व्यापार या तकनीकी पत्रिका या अन्यत्र कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित होने देने या प्रकट नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के अप्रकटीकरण के परिणामस्वरूप रिज़र्व बैंक द्वारा सहन की गई किसी भी हानि के लिए रिज़र्व बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन न करने पर ठेकेदार के हिस्से से संविदा उल्लंघन माना जाएगा और रिज़र्व बैंक को क्षतिपूर्ति का दावा करने और कानूनी उपाय अपनाने का अधिकार होगा।

#### **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न:**

ठेकेदार/एजेंसी "कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का अनुपालन करेगी। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे ठेकेदार के कर्मचारियों को शामिल करने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होती है।

ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

**संविदा की समाप्ति:** ऊपर जो कुछ भी निहित है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार पर, इस करार को समाप्त करने का बिना कोई कारण बताए और बिना किसी मुआवजे के भुगतान के हकदार होगा, यदि

बैंक की राय में (जिस पर ठेकेदार सवाल नहीं उठाएगा और यह ठेकेदार पर बाध्यकारी होगी) ठेकेदार बैंक की संतुष्टि के लिए इस करार को लागू करने में विफल रहता है या इनकार करता है। यदि ठेकेदार निविदा शर्तों के अनुसार फ्लैटों/फ्लैट में सेवा से बचता रहता है या निष्पादित नहीं करता है।

#### **और/या**

- ii. यदि ठेकेदार के व्यक्ति/कामगार किसी भी कदाचार में पाए जाते हैं जैसे कि निवासी के हस्ताक्षर की जालसाजी, ड्यूटी के दौरान शराब पीना।

#### **और/या**

- iii. अगर आरओ + यूवी वाटर प्यूरीफायर सर्विस को संतोषजनक/घटिया पाया गया।

#### **और/या**

iv. ठेकेदार इस करार के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है।

**और/या**

v. ठेकेदार को दिवालिया घोषित किया जाता है या उसके द्वारा लेनदारों के साथ समझौता किया जाता है या यदि संकट या निष्पादन या अन्य प्रक्रिया लगाई जाती है या रिसीवर को ठेकेदार की संपत्ति या संपदा के किसी भी हिस्से पर नियुक्त किया जाता है।

**और/या**

vi. किसी भी कारण से, ठेकेदार इस करार के तहत उच्च दायित्वों को पूरा करने के लिए कानून में अयोग्य हो जाता है।

**और/या**

vii. इस तरह के परिवर्तन के लिए बैंक के लिखित अनुमोदन के बिना ठेकेदार या व्यवसाय के स्वामित्व/साझेदारी या प्रबंधन में कोई भिन्नता है।

**11.** इस संविदा के तमाम हिस्सों को निविदाकर्ता द्वारा पढ़ और पूरी तरह से समझ लिया गया है।

यदि निविदाकर्ता एक  
साझेदारी फर्म या  
व्यक्ति है

इसके साक्ष्यस्वरूप नियोक्ता और निविदाकर्ता  
ने उपर्युक्त तिथि को अपने हस्ताक्षर इन कागजात पर दो प्रतियों में किए हैं

यदि निविदाकर्ता एक  
कंपनी है

इसके साक्ष्यस्वरूप नियोक्ता ने अपने विधिवत अधिकृत अधिकारी के माध्यम से  
इन कागजात की दो प्रतियों पर उपर्युक्त तिथि को अपने हस्ताक्षर किए हैं और  
सामान्य मुहर लगाई है

हस्ताक्षर खंड:

के हाथ से हस्ताक्षरित और वितरित किया गया

श्री \_\_\_\_\_ (1) की उपस्थिति में

\_\_\_\_\_ (नाम और पता)

(2) \_\_\_\_\_ - (नाम और पता)

सत्यापित करना

श्री द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया

\_\_\_\_\_ की उपस्थिति में

1. \_\_\_\_\_ (नाम और पता)

2. \_\_\_\_\_ - (नाम  
और पता)

की सामान्य मुहर \_\_\_\_\_ यहां चिपकाया  
गया था

बैठक में इसके निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसरण  
में। \_\_\_\_\_ की

उपस्थिति में-

(1) \_\_\_\_\_

(2) \_\_\_\_\_

निदेशक जिन्होंने इन उपहारों पर हस्ताक्षर किए हैं  
की उपस्थिति में-

(1) \_\_\_\_\_

(2) \_\_\_\_\_

निविदाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया यदि संविदा है  
श्री \_\_\_\_\_ और विधिवत गठित वकील।

सत्यापित करना

अगर पक्ष एक साझेदारी

फर्म या व्यक्ति है

अगर सामान्य मुहर के  
तहत निविदाकार हस्ताक्षर की  
उपस्थिति पर हस्ताक्षर करता  
है -

खंड एसोसिएशन के लेखों में  
सीलिंग खंड के साथ मेल खाना  
चाहिए

की शक्ति के हाथ से  
हस्ताक्षरित  
वकील, चाहे वह कंपनी हो या  
कोई व्यक्ति

**अनुलग्नक II (सफल निविदाकर्ता के लिए)  
कार्य निष्पादन बैंक गारंटी का प्रोफार्मा (तीन वर्ष के लिए)**

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए ₹ 100/- या उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है)

सं. \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_

प्रति:

श्री \_\_\_\_\_  
क्षेत्रीय निदेशक,  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
संपदा विभाग

प्रिय महोदय

मैसर्स (इसके बाद ठेकेदार के रूप में संदर्भित) \_\_\_\_\_ द्वारा रुपये ..... (.... रुपये मात्र) की कार्य निष्पादन सुरक्षा जमा स्वीकार करने के लिए आपकी सहमति को ध्यान में रखते हुए संविदा की शर्तों के अनुसार बैंक के मुख्य कार्यालय भवन और भारतीय रिज़र्व बैंक की आवासीय कॉलोनिमें आरओ + यूवी आधारित वाटर प्यूरीफायर के व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा (सीएएमसी) के लिए निविदाओं के लिए कार्य प्रदान किया गया। निविदाओं के लिए अपने संविदा की तारीख और संविदा की आपकी विशेष शर्तों और उससे संबंधित अन्य निविदा दस्तावेजों के अनुसार निर्धारित शर्तों और परिवर्तनों के अधीन या आपके में संदर्भित शर्तों और परिवर्तनों के अधीन संविदा दिनांक \_\_\_\_\_ इसके बाद के तरीके से हमसे गारंटी के रूप में निहित, हम \_\_\_\_\_ (बैंक का नाम) इसके द्वारा संविदा करते हैं और आपसे इस प्रकार सहमत हैं:

1. हम आपको क्षतिपूर्ति करने और समय-समय पर आपको क्षतिपूर्ति देने का वचन देते हैं, जिसकी राशि ₹ \_\_\_\_\_ (शब्दों में \_\_\_\_\_ मात्र) तक होगी, जो किसी भी हानि या क्षति के कारण होगी जो ठेकेदार द्वारा उक्त अनुबंध में निहित किसी भी शर्त या शर्तों के उल्लंघन के कारण आपको हुई हो या हो सकती है, और यदि ठेकेदार उक्त अनुबंध के तहत किसी भी कार्य को पूरा करने में किसी भी तरह की चूक करता है या उक्त अनुबंध से संबंधित किसी भी शर्त या शर्तों के पालन और निष्पादन में चूक करता है, तो हम आपकी मांग पर तुरंत आपको ऐसी राशि या राशियां भुगतान करेंगे, जो कुल मिलाकर उक्त राशि ₹ \_\_\_\_\_ (₹ \_\_\_\_\_ मात्र) से अधिक नहीं होगी, जो आप ठेकेदार की ऐसी चूक के कारण अपनी हानि और/या क्षति, लागत, शुल्क या व्यय के रूप में दावा करते हैं।
2. इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, आपका निर्णय कि ठेकेदार ने ऐसी कोई चूक या चूकें की हैं या नहीं और आपको इसके कारण कितनी राशि या राशियाँ प्राप्त होनी चाहिए, हमारे लिए बाध्यकारी होगा और हम आपकी इस गारंटी के तहत आपके दावे या दावों को स्थापित करने के लिए आपसे अनुरोध नहीं कर सकेंगे, बल्कि आपकी मांग पर तुरंत बिना किसी विरोध या आपत्ति के भुगतान करेंगे।

3. यह गारंटी तब तक जारी रहेगी और तब तक बनी रहेगी जब तक कि उक्त संविदा की सापेक्ष गारंटी अवधि समाप्त होने के बाद ठेकेदार द्वारा आवेदन पर आपके द्वारा जारी नहीं किया जाता है और ठेकेदार द्वारा उक्त संविदा के तहत अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करने और उक्त संविदा के तहत काम के उचित समापन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और "नो डिमांड सर्टिफिकेट" प्रस्तुत करने के बाद, बशर्ते कि यह गारंटी किसी भी स्थिति में उस दिन के बाद लागू नहीं रहेगी \_\_\_\_\_ आपके दावे या दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त तिथि से छह महीने की समाप्ति से पहले हमसे लिखित रूप में मांग की गई या अन्यथा सूचित की गई, जो हमारे खिलाफ लागू होने के बावजूद लागू होगी, भले ही उक्त तिथि के बाद इसे लागू किया गया हो या लागू किया गया हो।
4. यदि किसी भी कारण से इस गारंटी का विस्तार करना आवश्यक है, तो हम आपके अनुरोध पर इस गारंटी की अवधि को उस समय तक बढ़ाने का वचन देते हैं जब तक कि आपके द्वारा आवश्यक न हो। इस संबंध में आपका निर्णय अंतिम और हम पर बाध्यकारी होगा।
5. आपको समय-समय पर इस गारंटी को प्रभावित किए बिना उक्त संविदा के किसी भी नियम और शर्तों को बदलने या ठेकेदार के कार्य निष्पादन के समय को बढ़ाने या ठेकेदार के खिलाफ अपने किसी भी अधिकार या शक्तियों को किसी भी समय के लिए या समय-समय पर स्थगित करने और या तो उक्त संविदा के किसी भी नियम और शर्तों को लागू करने या लागू करने से मना करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और हम इस गारंटी के तहत हमारी देयता से पूर्वोक्त मामलों के संदर्भ में आपकी स्वतंत्रता के प्रयोग से या ठेकेदार को दिए जाने वाले किसी भी समय या किसी अन्य सहनशीलता, आपकी ओर से कार्य या चूक या ठेकेदार को आपके द्वारा किसी भी अनुग्रह या उक्त संविदा या किसी अन्य कार्य के किसी भी परिवर्तन या संशोधन के कारण मुक्त नहीं किया जाएगा, मामला या चीजें जो भी हैं, जो जमानतदारियों से संबंधित कानून के तहत होंगी, लेकिन इसके प्रावधानों के लिए हमें इसके तहत हमारे दायित्व से मुक्त करने का प्रभाव होगा, बशर्ते कि इसमें निहित कुछ भी हमारे दायित्व को रुपये ..... की सीमा से परे बढ़ाएगा जैसा कि पूर्वोक्त है।
6. यह गारंटी किसी भी तरह से ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या कंपनी से किसी भी प्रतिभूतियों को लेने या बदलने या छोड़ने से प्रभावित नहीं होगी, जैसा भी मामला हो।
7. यहां निहित गारंटी को पूर्ण प्रभाव देने के लिए आप इस तरह से कार्य करने के हकदार होंगे जैसे कि हम ठेकेदार के खिलाफ आपके सभी दावों के संबंध में आपके प्रमुख देनदार थे, जैसा कि हमारे द्वारा पूर्वगामी रूप से गारंटी दी गई है और हम एतद्वारा स्पष्ट रूप से जमानत-जहाज और अन्य अधिकारों के हमारे सभी अधिकारों को माफ कर देते हैं, यदि कोई हो, जो किसी भी तरह से इस गारंटी के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत हैं।
8. पूर्वोक्त के रूप में हमारी देयता की अधिकतम सीमा के अधीन, यह गारंटी समय-समय पर ठेकेदार के खिलाफ आपके सभी दावों या दावों को कवर करेगी जो उक्त संविदा से उत्पन्न होती है या उसके संबंध में और जिसके संबंध में आपका दावा लिखित रूप में इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले हम पर दर्ज किया जाता है।
9. मांग के माध्यम से या अन्यथा इसके तहत कोई भी नोटिस विशेष कूरियर, टेलेक्स, फैक्स या पंजीकृत डाक द्वारा हमारे स्थानीय पते पर पूर्वोक्त रूप से भेजा जा सकता है और यदि डाक द्वारा भेजा जाता है, तो इसे तब दिया गया माना जाएगा जब इसे पोस्ट किया गया हो।
10. यह गारंटी और इसमें निहित शक्तियां और प्रावधान किसी अन्य गारंटी या गारंटी की सीमा या प्रतिस्थापन के अतिरिक्त हैं और न ही

इसके लिए आपको हमारे द्वारा दिया गया है (चाहे संयुक्त रूप से दूसरों के साथ या अकेले) और यह गारंटी का इरादा नहीं है और इस तरह की गारंटी या गारंटी को रद्द या सीमित नहीं करेगी।

11. यह गारंटी ठेकेदार या हमारे गठन में किसी भी बदलाव से प्रभावित नहीं होगी और न ही यह आपके गठन में किसी भी परिवर्तन या उसके किसी समामेलन या अवशोषण से प्रभावित होगी, लेकिन अवशोषित या समामेलित कंपनी या चिंता के लाभ के लिए और उपलब्ध और लागू करने योग्य होगी।

12. उक्त निविदा की किसी भी शर्त को लागू करने में बैंक की ओर से कोई भी सहनशीलता, कार्य या चूक या बैंक द्वारा निविदाकर्ता को किसी भी प्रकार की अनुग्रह दिखाने पर किसी भी तरह से जमानतदार का निर्वहन नहीं किया जाएगा और इस गारंटी के तहत जमानतदार के दायित्वों का निर्वहन केवल बैंक द्वारा जमानतदार को दिए जाने की सूचना पर ही किया जाएगा।

13. यह गारंटी इसकी निरंतरता की अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय है और लिखित रूप में आपकी पूर्व सहमति के बिना रद्द नहीं की जाएगी।

14. हम आगे सहमत हैं और आपके और ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति के बीच मौजूद या उत्पन्न होने वाले किसी भी अंतर या विवाद या विवाद के बावजूद लिखित रूप में आपके द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

15. यहां कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस गारंटी के तहत हमारी देयता रुपये..... (रुपये.....मात्र ) तक सीमित है। जब तक समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर इस गारंटी के तहत भुगतान के लिए हम पर कोई लिखित दावा दर्ज नहीं किया जाता है, जिसमें विस्तार भी शामिल है, यदि कोई हो, इस गारंटी के तहत आपके सभी अधिकारों को जब्त कर लिया जाएगा और हमें इसके तहत सभी देनदारियों से मुक्त और मुक्त माना जाएगा, भले ही मूल गारंटी हमें वापस कर दी गई हो या नहीं।

16. हमारे पास हमारे बैंक के मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत आपके पक्ष में इस गारंटी को जारी करने की शक्ति है और अधोहस्ताक्षरी के पास बैंक द्वारा उसे दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत इस गारंटी को निष्पादित करने की पूरी शक्ति है।

हस्ताक्षरित और वितरित किया गया

(उपर्युक्त नामित बैंक के लिए और उसकी ओर से)

(बैंकर का नाम और मुहर)

शाखा प्रबंधक के लिए और

उनकी ओर से

(बैंकर की मुहर) पता \_\_\_\_

### अनुलग्नक- III

#### अनुसूचित बैंक से बैंकर्स प्रमाण पत्र का रूप

#### (ठेकेदार द्वारा निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना है)

प्रमाणित किया जाता है कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार मैसर्स ..... जिनका सामान्य पता मार्जिन में लिखा है, हमारे बैंक के एक सम्मानित ग्राहक हैं और उन्हें रु. .... (रुपये ..... मात्र) तक के किसी कार्य के लिए ठीक माना जा सकता है। यह प्रमाण पत्र बैंक या किसी भी अधिकारी पर बिना किसी गारंटी या जिम्मेदारी के जारी किया जाता है।

(हस्ताक्षर)

नोट:

1. बैंकर का प्रमाण पत्र बैंक के लेटरहेड पर होना चाहिए, जो नियोक्ता प्राधिकारी को संबोधित किया गया हो।
2. साझेदारी फर्म के मामले में, बैंक के साथ दर्ज किए गए सभी भागीदारों के नाम शामिल करने के लिए प्रमाण पत्र।

## अनुलग्नक- IV

### वचनपत्र

मैंने/हमने निविदा के भाग I में उल्लिखित कार्य के दायरे, विनिर्देशों, सामान्य नियमों और शर्तों में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों को समझ लिया है।

मैं/हम एतद्वारा लिवप्योर/केंट/यूरेका फोर्ब्स/अन्य प्रतिष्ठित कंपनी आरओ वाटर प्युरीफायर सर्विसिंग के काम को वार्षिक दर पर करने का वचन देते हैं यदि उद्धरण स्वीकार किया जाता है।

मैं/हम सभी सरकारी नियमों, विनियमों आदि का पालन करेंगे जो इस कार्य से संबंधित हैं या लागू हो सकते हैं।

हस्ताक्षर :

निविदाकर्ता का नाम :

मुहर के साथ पता :

तारीख :

**सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के संबंध में वचन**

(आवेदक द्वारा अपने लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

1. मैं/हम ..... (फर्म का नाम) घोषित करते हैं कि

a) मैं/हम या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म\* भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में नहीं है/नहीं है.....(आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक)।

b) मैंने/हमने या हमारी किसी भी संबद्ध फर्म ने पिछले तीन वर्षों में भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था के साथ सत्यनिष्ठा संहिता के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है (आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक)।

c) मैं/हम बैंक को लिखित रूप में सूचित करेंगे, यदि मैं/हम या हमारी कोई सहयोगी फर्म \* भारत या अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था द्वारा शीर्षांकित कार्य के लिए काम देने पर या उससे पहले प्रतिबंधित / निलंबित / काली सूची में डाल दिया जाता है।

2. मैं/हम ..... (फर्म का नाम) घोषणा करते हैं कि मैं/हम या हमारा सम्बद्ध फर्म\* ..... (संबद्ध फर्मों का नाम) है/हैं

..... द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में डाला गया (भारत या किसी अन्य देश में सार्वजनिक संस्थान का नाम और पता) और यह तब तक प्रभावी होगा ..... (तारीख)। आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए इस तरह के पत्र की एक प्रति संलग्न है।

(आवेदक की मुहर और हस्ताक्षर)  
दिनांक:

स्थान:

**नोट: उपरोक्त दो घोषणाओं में से एक को हटा दें जो लागू नहीं है।**

\*एलाइड फर्म: एक फर्म को "एलाइड फर्म" कहा जाएगा यदि प्रबंधन सामान्य है, या पर्याप्त या बहुमत शेयर प्रतिबंधित/निलंबित फर्म के स्वामित्व में हैं और इसके आधार पर इसकी एक नियंत्रित आवाज है। इसके अलावा, सभी उत्तराधिकारी फर्मों को भी संबद्ध फर्मों के रूप में माना जाएगा।



भारतीय रिज़र्व बैंक संपदा विभाग  
पटना

बैंक की आवासीय कॉलोनियों और मुख्य कार्यालय भवन (एमओबी), पटना में लिवप्योर और अन्य मेक वाटर स्टोरेज प्युरीफायर (आरओ + यूवी आधारित) का व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी)

भाग - II

जमा करने की अंतिम तिथि: - 02 जनवरी, 2025 को 14:00 बजे तक।

भाग I के खुलने की तिथि - 02 जनवरी, 2025 को 15:00 बजे।

निविदाकर्ता का नाम \_\_\_\_\_

पता \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

मोबाइल नंबर:

ईमेल:

उस व्यक्ति का नाम जिसने निविदा पर हस्ताक्षर किए:

**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**संपदा विभाग**  
**पटना**  
**भाग II: वित्तीय बोली/मात्रा का बिल**

**बैंक** की आवासीय कॉलोनियों और मुख्य कार्यालय भवन (एमओबी), पटना में लिवप्योर और अन्य मेक वाटर स्टोरेज प्युरीफायर (आरओ+यूवी आधारित) का व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी)

क्र. सं.	ब्योरे	मात्रा (संख्या फ्लैटों की संख्या)	दर (₹) प्रति फ्लैट	कुल राशि (₹)
A	बैंक की आवासीय कॉलोनियों और मुख्य कार्यालय भवन (एमओबी), पटना व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी) के अनुसार लिवप्योर और अन्य मेक आरओ + यूवी वाटर की सर्विसिंग और रखरखाव के लिए निविदा में उल्लिखित कार्य  a) लिवप्योर मेक - 300 नग। b) अन्य मेक - 10 नग।	310*  Nos.		
B	जीएसटी @18%			
C	कुल लागत (A+ B)			

\*संविदा की अवधि के दौरान फ्लैटों की संख्या भिन्न हो सकती है

कुल लागत शब्दों में:

उद्धृत दर में जीएसटी और अन्य लागू कर और शुल्क शामिल होंगे।

दिनांक:

फर्म के हस्ताक्षर